एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट

2020-2021

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एपीडा
APEDA

विषय सूची

1.	एपीडा के बारे में	5
	1.1 एपीडा संगठन संरचना	6
	1.2 निर्दिष्ट कार्य	6
	1.3 एपीडा द्वारा मॉनिटर किए गए उत्पाद	7
	1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना	8
	1.5 प्रशासनिक संरचना	9
2	एपीडा का निर्यात परिदृश्य (2020–2021)	11
	2.1 कृषि निर्यात में एपीडा की हिस्सेदारी	12
	2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा निर्यातों की हिस्सेदारी (% में)	12
	2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार	13
	2.4 एपीडा का निर्यात निष्पादन	16
3	प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य	17
4	निर्यातकों का पंजीकरण	17
	4.1 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	17
	4.2 पंजीकरण सह अबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)	18
	4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी आरसीएसी	18
	4.2.2 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई)	18
5	एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन	18
6	एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना	21
	6.1 बाजार विकास	21
	6.2 अवसंरचना विकास	21
	6.3 गुणवत्ता विकास	22
7	एपीडा की ई–गवर्नेन्स पहल	24

8	बागबानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियां तथा पुष्पकृषि)	27
9	प्रसंस्कृत एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र	30
10	पशुधन क्षेत्र	31
11	अनाज क्षेत्र	33
12	जैविक क्षेत्र	34
13	गुणवत्ता विकास	37
14	अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें और वर्चुअल व्यापार मेले	39
	14.1 अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें	39
	14. 2 वर्चुअल व्यापार मेले	40
15	एपीडा क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां	41
	15.1 गुवाहाटी	41
	15.2 हैदराबाद	42
	15.3 बैंगलुरू	45
	15.4 कोलकाता	47
	15.5 मुम्बई	49
	15.6 वाराणसी	52
	15.7 चेन्नई	54
	15.8 भोपाल	55
	15.9 जम्मू और श्रीनगर	56
	15.10 चंडीगढ़	56
16	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	57
17	कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन	59
18	अन्य गतिविधियां	61
	18.1 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का समारोह	61
	18.2 70वें संविधान दिवस का आयोजन	62
	18.3 स्वच्छता कार्य योजना	63
	18.4 एपीडा के स्थापना दिवस का उत्सव	64

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यह अधिनियम (1986 का 2) 13 फरवरी 1986 को भारत के राजपत्र में जारी एक अधिसूचनाः विशेषतः भाग–2 (धारा 3 (ii): 13.2.1986) के द्वारा लागू हुआ था। इस प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवंर्धन परिषद (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित किया था।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V की धारा 21(2) के संदर्भ में विगत वित्त वर्षों के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण लेखों का विवरण प्रस्तुत करने वाली प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी आवश्यक है जिससे इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

यह वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.1 एपीडा संगठन संरचना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एपीडा के कार्यपालक, एपीडा अध्यक्ष है।

एपीडा ने मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। इसके अतरिक्त, 2020–21 के दौरान एपीडा द्वारा चेन्नई, चंड़ीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, वाराणसी, भोपाल और अहमदाबाद आदि में नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए।

1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम, (1986 का 2) के प्रावधानों के अनुसार एपीडा को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं।

क. वित्तीय सहायता प्रदान करके या अन्य सर्वेक्षण करने के माध्यम से निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास और व्यवहार्यता अध्ययन, संयुक्त उद्यमों और अन्य राहत और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से इक्विटी पूंजी में भागीदारी;

ख. निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण;

ग. निर्यातों के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं का निर्धारण करना;

घ. स्लाउटर हाउसों (बूचड़खानों) प्रसंस्करण प्लांट, भंडारण परिसरों, संप्रेषणों या अन्य स्थानों पर मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना जहां ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं या ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है;

ङ अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार;

च. भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार;

छ. निर्यातोन्मुख उत्पादन का विकास और अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना;

ज. अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग या निर्यात में लगे कारखानों या संस्थानों के मालिकों या अन्य ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अनुसूचित उत्पादों के संबंध में किसी भी मामले में निर्धारित किया जा सकता है, से आंकड़ों का संग्रह करना और इन आंकड़ों का या इनके किन्ही अंशों एवं उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना;

झ. अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पक्षों में प्रशिक्षण;

ट. यथा निर्धारित, अन्य ऐसे मामले;

1.3. एपीडा द्वारा मॉनिटर किए गए उत्पाद

एपीडा को निर्यात संवर्धन तथा विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। एपीडा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित उत्पाद निम्नलिखित है।

मॉनिटर किए गए उत्पाद

1. फल, सब्जियाँ और इनके उत्पाद
2. मांस और मांस उत्पाद
3. पॉल्ट्री और पॉल्ट्री उत्पाद
4. डेयरी उत्पाद
5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
7. कोको और इसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8. मादक और गैर–मादक पेय पदार्थ
9. अनाज और अनाज के उत्पाद
10. मूंगफली और अखरोट
11. अचार, पापड़ और चटनियाँ
12. ग्वार गम
13. पुष्पकृषि और पुष्पकृषि उत्पाद
14. हर्बल और औषधीय पौधे

बासमती चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है।

एपीडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत प्रमाणीकरण निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" को केवल तभी प्रमाणित किया जाता है जब उन्हें "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)" दस्तावेज में दिए गए मानकों के अनुरूप उत्पादित, प्रोसेस और पैक किया जाता है।

1.4 एपीडा प्राधिकरण की संरचना

संविधि में निर्धारित अनुसार, एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

एपीडा प्राधिकरण

1. अध्यक्ष
केंद्र सरकार द्वारा
नियुक्त

2. कृषि विपणन सलाहकार,
भारत सरकार पदेन

3. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

4. संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा और एक का राज्य सभा से किया जाता है

5. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे

(i) कृषि और ग्रामीण विकास
(ii) वाणिज्य
(iii) वित्त
(iv) उद्योग
(v) खाद्य
(vi) नागरिक आपूर्ति
(vii) नागर विमानन
(viii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग

6. संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णमाला क्रम में रोटेशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य

7. केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करते है:

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
(iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)
(iv) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
(iv) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
(v) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद और
(vi) भारत का काजू निर्यात संवर्धन परिषद्

8. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त बारह सदस्यों का प्रतिनिधित्वः

(क) फल और सब्जियां उत्पाद उद्योग
(ख) मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद उद्योग
(ग) अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
(घ) पैकेजिंग उद्योग

9. कृषि, अर्थशास्त्र और विपणन के क्षेत्र में अनुसूचित उत्पादों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्य।

1.5 प्रशासनिक संरचना

अध्यक्ष
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

निदेशक
एपीडा द्वारा नियुक्त

सचिव
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

अन्य अधिकारी और स्टाफ
एपीडा द्वारा नियुक्त

एपीडा अधिनियम की धारा 7 (3) में प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

क, ख, ग, घ (अध्यक्ष सहित) की विभिन्न श्रेणियों में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 124 है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री पवन कुमार बोरठाकुर ने 01.04.2020 से 12.06.2020 एपीडा के अध्यक्ष का पदभार संभाला। श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में 15.6.2020 से 14.10.2020 एपीडा के अध्यक्ष का पदभार संभाला।

डॉ. एम. अंगमुथु ने 14.10.2020 से 31.03.2021 एपीडा के अध्यक्ष का पदभार संभाला।

निदेशक

डॉ. तरुण बजाज ने 2020–21 के दौरान निदेशक, एपीडा का कार्यभार संभाला

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संगठन में 124 कुल कर्मचारी क्षमता (अध्यक्ष और सचिव सहित) की तुलना में कर्मचारियों की कुल संख्या 83 थी। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का श्रेणी–वार विवरण निम्नानुसार थाः

अधिकारी और स्टाफ

सरकार में श्रेणी क के समकक्ष पद (अध्यक्ष एवं सचिव सहित)	22
सरकार में श्रेणी ख के समकक्ष	31
सरकार में श्रेणी ग के समकक्ष	30

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास को प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से देखा जाता है।

वर्तमान में, एपीडा में वर्ग क, ख और ग श्रेणीयों में कुल 25 महिला कर्मचारी हैं।

एपीडा ने कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता उप महाप्रबंधक स्तर की एक महिला अधिकारी कर रही है। महिला कर्मचारियों के कल्याण की भी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और किसी भी महिला कर्मचारी की ओर से उत्पीड़न या उनके कल्याण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार मानदंड के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण सभी श्रेणियों में कुल संख्या का 4 प्रतिशत है। 83 के मौजूदा स्टाफ की संख्या में दो पदग्राही शारीरिक रूप से विकलांग हैं। एपीडा ने विकलांगों के कल्याण का ध्यान रखा है। एपीडा ने कर्मचारियों को कार्यालय के अंदर आने–जाने के लिए मोटराइज्ड व्हील चेयर प्रदान की है। इसके अलावा, नियम के अनुसार सभी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। अभी तक उनसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य (2020–2021)

2.1 एपीडा का कृषि निर्यात में हिस्सा (2020–2021)

कुल पण्य निर्यात	$ 291.81 bn
कृषि उत्पादों का निर्यात (कॉटन सहित)	$ 41.24 bn
पण्य निर्यातों में कृषि का हिस्सा	14.1%
एपीडा द्वारा निगरानी किए गए उत्पादों का निर्यात (सभी कृषि उत्पादों का 49 प्रतिशत)	$ 20.25 bn

स्रोत : डीजीसीआईएस

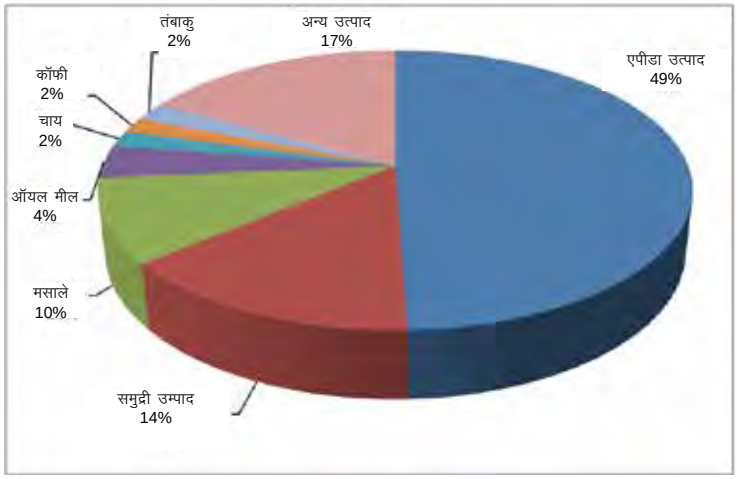

2.2 प्रमुख 15 बाजारों में एपीडा के निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा

देश का नाम	2020–2021 (यूएस $ मिलियन)	% शेयर
सऊदी अरब	1436	6.9
बांग्लादेश पीआर	1401	6.8
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)	1239	6.0
संयुक्त राज्य अमेरीका (यूएसए)	1120	5.4
हॉगकॉग	941	4.5
नेपाल	938	4.5
मलेशिया	883	4.3
वियतनाम समाजिक गणराज्य	855	4.1
इराक	830	4.0
ईरान	706	3.4
इंडोनेशिया	692	3.3
बेनिन	452	2.2
मिस्र गणराज्य	432	2.1
यूनाइटेड किंग्डम (यूके)	430	2.1
नीदरलैंड	396	1.9

स्रोत : डीजीसीआईएस

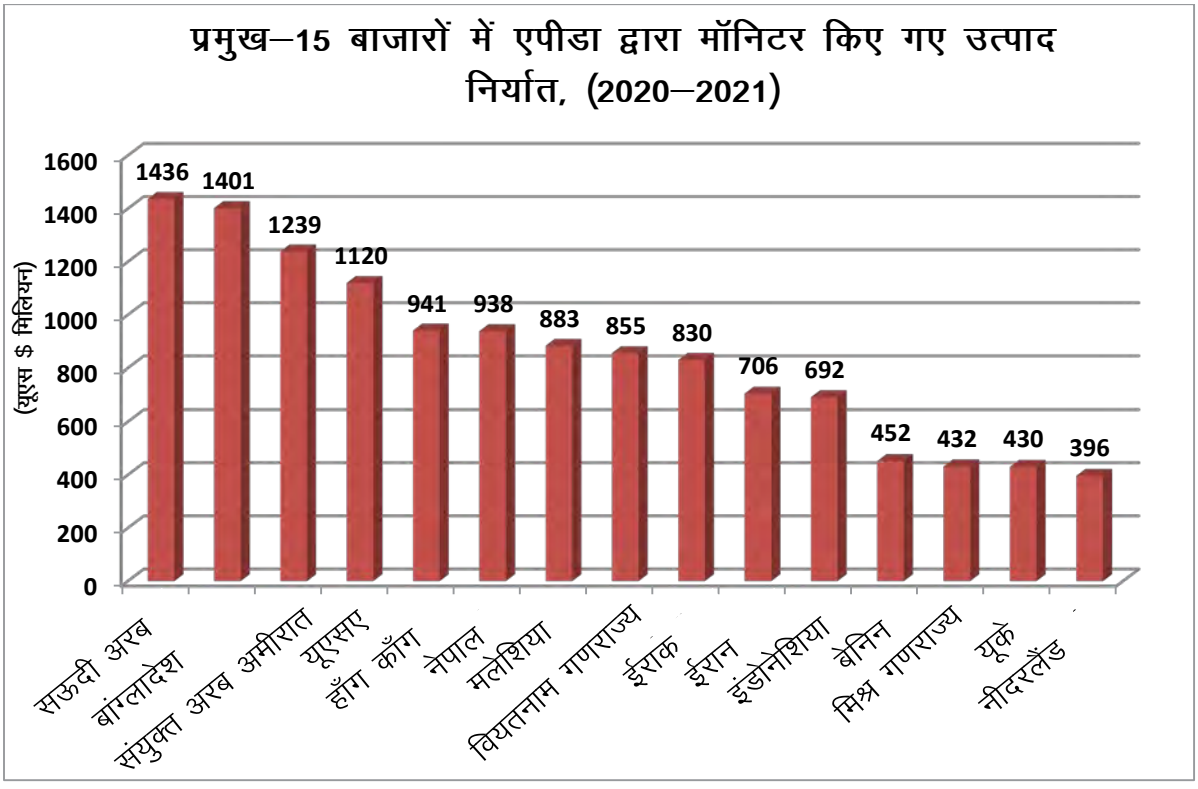
प्रमुख–15 बाजारों में एपीडा द्वारा मॉनिटर किए गए उत्पाद
निर्यात, (2020–2021)
(यूएस $ मिलियन)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1436
1401
1239
1120
941
938
883
855
830
706
692
452
432
430
396
सऊदी अरब
बांग्लादेश
संयुक्त अरब अमीरात
यूएसए
हाँग काँग
नेपाल
मलेशिया
वियतनाम गणराज्य
इराक
इरान
इंडोनेशिया
बेनिन
मिश्र गणराज्य
यूके
नीदरलैंड

2.3 2020–21 में एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (प्रतिशत में)

वर्ष 2020–21 के दौरान एपीडा उत्पादों का प्रमुख पाँच गंतव्व (प्रतिशत में)				
पुष्पकृषि				
यूएसए (27.60 %)	नीदरलैंड (18.98 %)	संयुक्त अरब अमीरात (5.98 %)	यूके (5.75 %)	जर्मनी (5.58 %)
फल और सब्जियों के बीज				
यूएसए (17.41 %)	नीदरलैंड (17.16 %)	बांग्लादेश (14.74 %)	संयुक्त अरब अमीरात (5.96 %)	जापान (3.40 %)
ताजा प्याज				
बांग्लादेश (26.73 %)	मलेशिया (16.33 %)	संयुक्त अरब अमीरात (11.69 %)	श्रीलंका (11.08 %)	नेपाल (5.83 %)
अन्य ताजा सब्जियां				
संयुक्त अरब अमीरात (20.66 %)	नेपाल (19.38 %)	बांग्लादेश (11.59 %)	यूके (8.90 %)	क़तर (8.74 %)
अखरोट				
यूके (23.05 %)	संयुक्त अरब अमीरात (16.55 %)	जर्मनी (16.43 %)	न्युजीलैंड (14.89 %)	फ्रांस (12.59 %)
ताजा आम				
संयुक्त अरब अमीरात (55.56 %)	यूके (18.86 %)	क़तर (7.05 %)	ओमान (6.20 %)	कुवैत (3.54 %)
ताजा अंगूर				
नीदरलैंड (35.90 %)	यूके (10.99 %)	बांग्लादेश (10.30 %)	रूस (10.30 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.27 %)
अन्य ताजा फल				
बांग्लादेश (30.46 %)	संयुक्त अरब अमीरात (19.49 %)	ईरान (10.84 %)	नेपाल (9.44 %)	ओमान (4.98 %)
अन्य (पान के पत्ते और नट्स)				
मालद्वीप (20.77 %)	संयुक्त अरब अमीरात (12.36 %)	थाईलैंड (11.35 %)	बांग्लादेश (8.66 %)	यूएसए (8.54 %)
खीरा और ककड़ी (तैयार और संरक्षित)				
यूएसए (25.30 %)	रूस (8.10 %)	फ्रांस (7.83 %)	जर्मनी (7.36 %)	बेलजियम (6.70 %)
प्रसंस्कृत सब्जियां				
यूएसए (20.36 %)	यूके (9.40 %)	जर्मनी (6.28 %)	थाइलैंड (5.33 %)	कनाडा (4.41 %)
आम की लुग्दी				
सऊदी अरब (23.95 %)	यमन गणराज्य (12.63 %)	नीदरलैंड (9.86 %)	कुवैत (7.59 %)	ओमान (6.30 %)
प्रसंस्कृत फल, जूस और नट्स				
यूएसए (12.85 %)	नीदरलैंड (11.15 %)	सऊदी अरब (8.44 %)	संयुक्त अरब अमीरात (7.34 %)	ईरान (4.11 %)

दालें				
यूएसस (17.02 %)	चीन गणराज्य (11.28 %)	नेपाल (9.05 %)	संयुक्त अरब अमीरात (7.91 %)	अल्जीरिया (7.47 %)
भैंस का मांस				
हाँग काँग (27.15 %)	वियतनाम गणराज्य (12.77 %)	मलेशिया (12.08 %)	मिश्र (11.87 %)	इंडोनेशिया (9.68 %)
भेड़ / बकरी का मांस				
संयुक्त अरब अमीरात (75.16 %)	क़तर (10.62 %)	कुवैत (5.54 %)	सऊदी अरब (2.91 %)	ओमान (2.69 %)
अन्य मांस				
भुटान (99.74 %)	नेपाल (0.26 %)			
प्रसंस्कृत मांस				
हाँग काँग (58.86 %)	क़तर (11.97 %)	भुटान (10.98 %)	म्यांमार (6.23 %)	लाओ गणराज्य (6.18 %)
पशुओं केसिन				
हाँग काँग (84.09 %)	वियतनाम गणराज्य (6.67 %)	मलेशिया (4.24 %)	म्यांमार (1.46 %)	कम्बोडिया (1.01 %)
पॉल्ट्री के उत्पाद				
ओमान (23.56 %)	मालद्वीप (15.14 %)	इंडोनेशिया (10.82 %)	वियतनाम गणराज्य (9.32 %)	रूस (7.27 %)
डेयरी उत्पाद				
संयुक्त अरब अमीरात (19.54 %)	बांग्लदेश (11.88 %)	यूएसए (11.37 %)	भूटान (11.23 %)	सिंगापुर (7.59 %)
प्राकृतिक शहद				
यूएसए (67.39 %)	सऊदी अरब (6.84 %)	संयुक्त अरब अमीरात (6.29 %)	बांग्लादेश (2.19 %)	कनाडा (2.17 %)
केसिन				
यूएसए (60.24 %)	सऊदी अरब (14.71 %)	फिलीपीन्स (7.56 %)	मलेशिया (7.24 %)	वियतनाम गणराज्य (5.80 %)
एल्बुमिन (अण्डे और दूध)				
वियतनाम गणराज्य (39.44 %)	जापान (38.03 %)	इंडोनेशिया (6.16 %)	फिलीपीन्स (5.64 %)	थाईलैंड (3.25 %)
मूंगफली				
इंडोनेशिया (32.97 %)	वियतनाम (20.99 %)	चीन गणराज्य (10.62 %)	फिलीपीन्स (7.36 %)	मलेशिया (5.87 %)
ग्वार गम				
यूएसए (21.04 %)	जर्मनी (12.03 %)	रूस (11.98 %)	चीन गणराज्य (8.35 %)	नार्वे (8.13 %)
गुड़ और कन्फेक्शनरी				
श्रीलंका (11.96 %)	सूडान (8.57 %)	नेपाल (6.49 %)	नाइजीरिया (6.20 %)	यूएसए (4.62 %)

कोको उत्पाद				
यूएसए (19.33 %)	तुर्की (9.95 %)	इंडोनेशिया (8.75 %)	ब्राजील (7.33 %)	नीदरलैंड (6.23 %)
अनाज से तैयार वस्तुएं				
यूएसए (19.92 %)	नेपाल (8.96 %)	बांग्लादेश (7.63 %)	सयुंक्त अरब अमीरात (6.32 %)	यूके (5.70 %)
मिल्ड उत्पाद				
यूएसए (27.47 %)	संयुक्त अरब अमीराज (13.05 %)	आस्ट्रेलिया (6.00 %)	कनाडा (5.95 %)	क़तर (5.67 %)
मादक पेय पदार्थ				
संयुक्त अरब अमीरात (23.23 %)	घाना (11.01 %)	सिंगापुर (9.16 %)	काँगो गणराज्य (5.27 %)	कैमरून (4.87 %)
विविध तैयार वस्तुएं				
यूएसए (19.47 %)	संयुक्त अरब अमीरात (11.05 %)	मलेशिया (5.87 %)	नेपाल (5.15 %)	आस्ट्रेलिया (5.13 %)
बासमती चावल				
सऊदी अरब (23.65 %)	ईरान (14.69 %)	ईराक (12.42 %)	यमन गणराज्य (6.93 %)	संयुक्त अरब अमीरात (5.09 %)
गैर–बासमती चावल				
बेनिन (9.23 %)	नेपाल (8.26 %)	बांग्लादेश (7.19 %)	सेनेगल (6.34 %)	टोगो (5.93 %)
गेहूं				
बांग्लादेश (54.27 %)	नेपाल (15.35 %)	संयुक्त अरब अमीरात (9.26 %)	श्रीलंका (4.51 %)	यमन गणराज्य (4.34 %)
मक्का				
बांग्लादेश (51.81 %)	वियतनाम गणराज्य (18.77 %)	नेपाल (18.71 %)	इंडोनेशिया (4.22 %)	म्यांमार (1.37 %)
अन्य अनाज				
संयुक्त अरब अमीरात (19.35 %)	नेपाल (10.93 %)	सऊदी अरब (10.11 %)	यूएसए (5.48 %)	जर्मनी (4.63 %)

स्रोतः डीजीसीआईएस

2.4 एपीडा का निर्यात निष्पादन

एपीडा उत्पाद	2018–19		2019–20		2020–21		2019–20 से 2020–21 में प्रतिशत वृद्धि	
	करोड़ रूपये	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रूपये	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रूपये	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रूपये	मिलियन यूएस डॉलर
गैर–बासमती चावल	21185.3	3047.8	14364.7	2014.6	35476.6	4799.9	146.97	138.26
बासमती चावल	32804.3	4722.5	31025.9	4330.7	29849.9	4018.7	-3.79	-7.20
भैंस का मांस	25168.3	3608.7	22668.5	3175.1	23460.4	3171.2	3.49	-0.12
विविध तैयार वस्तुएं	4073.0	583.3	4147.9	581.3	5866.4	793.1	41.43	36.43
मूंगफली	3298.3	473.8	5096.4	711.4	5381.6	727.4	5.60	2.25
अनाज से तैयार	3859.6	553.2	3871.8	542.6	4705.8	635.8	21.54	17.17
मक्का	1872.5	270.3	1019.3	142.8	4675.8	634.9	358.72	344.64
गेंहू	425.0	60.5	439.1	61.8	4037.6	549.7	819.43	788.91
प्रसंस्कृत सब्जियां	2474.0	354.8	2760.5	386.6	3718.6	501.6	34.71	29.74
प्रसंस्कृत फल, जूस और मेवे	2805.0	402.5	3086.4	432.0	3173.4	428.4	2.82	-0.84
ताजा प्याज	3468.9	498.2	2320.7	324.2	2826.5	378.5	21.80	16.75
गुड़ और कन्फेक्शनरी	1606.5	230.2	1633.3	227.9	2659.6	358.9	62.84	57.46
मादक पेय	2104.0	301.7	1648.6	231.0	2386.9	322.1	44.78	39.46
ताजा अंगूर	2335.3	334.8	2176.9	298.0	2298.5	313.6	5.59	5.23
अन्य ताजा फल	1834.6	262.4	2065.8	288.1	2233.3	302.0	8.11	4.81
अन्य ताजा सब्जियां	2069.7	296.2	2064.8	289.4	2143.2	289.1	3.80	-0.09
दालें	1822.6	263.0	1533.7	214.9	2116.7	284.3	38.01	32.28
ग्वार गम	4707.1	676.5	3261.6	456.9	1949.1	263.0	-40.24	-42.44
खीरा और ककड़ी (तैयार और परिरक्षित)	1437.1	206.0	1241.2	173.5	1651.8	223.0	33.08	28.56
मिल्ड उत्पाद	1060.2	151.9	1064.6	149.1	1513.4	204.0	42.16	36.83
डेयरी उत्पाद	2423.0	345.7	1341.0	186.7	1491.7	201.4	11.23	7.84
कोका उत्पाद	1350.9	193.3	1274.3	178.9	1108.4	149.8	-13.02	-16.27
फल और सब्जियों के बीज	849.2	122.8	723.4	101.5	808.4	108.8	11.74	7.21
प्राकृतिक शहद	732.2	105.5	633.8	88.7	716.1	96.8	12.99	9.09
आम की लुग्दी	657.7	94.0	584.3	81.9	714.4	96.4	22.26	17.74
पुष्पकृषि	571.4	82.0	541.6	75.9	576.0	77.8	6.35	2.56
अन्य अनाज	554.2	79.7	438.1	61.2	451.0	60.9	2.92	-0.51
पॉल्ट्री उत्पाद	687.3	98.4	574.6	80.4	435.5	58.7	-24.20	-26.95
पशुओं केंसिंग	480.7	68.5	398.5	55.7	416.5	56.2	4.53	0.95
भेंड/बकरी का मांस	790.7	113.7	646.7	90.8	330.0	44.6	-48.98	-50.90
ताजा आम	406.5	60.3	400.2	56.1	271.9	36.2	-32.07	-35.45
केसिन	220.5	31.3	7.6	1.0	180.4	24.5	2289.54	2282.52
अन्य (पान की पत्तियां और नट)	174.3	25.0	137.1	19.2	137.8	18.7	0.48	-2.86
एल्बुमिन (अण्डे और दूध)	103.1	14.8	82.4	11.6	95.0	12.8	15.32	10.46
अखरोट	66.8	9.6	52.8	7.4	29.8	4.0	-43.56	-45.24
अन्य मांस	13.7	2.0	16.3	2.3	18.1	2.5	10.66	8.33
प्रसंस्कृत मांस	13.5	2.0	14.7	2.1	11.9	1.6	-19.02	-20.98
कुल	**130506.5**	**18746.7**	**115359.2**	**16133.3**	**149917.9**	**20250.9**	**29.96**	**25.52**

स्रोतः डीजीसीआईएस

3. प्राधिकरण की बैठकें और संविधिक कार्य

वर्ष 2020–21 के दौरान 24 जून, 2020, 5 जनवरी, 2021 और 5 मार्च, 2021 को एपीडा प्राधिकरण की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

4. निर्यातकों का पंजीकरण

4.1 पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनिय, 1985 (संशोधित) की धारा 12 उप धारा (1) के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूचित उत्पादों में से किसी एक या अधिक का निर्यात करता है, निर्यात की तिथि से एक माह के अंदर या यह धारा लागू होने की तिथि से तीन महिने के अंदर, जो भी बाद में, प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद या उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदन करेगा। पंजीकरण और सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जारी किए गए प्रमाणपत्रों का विभाजन और एपीडा के अनुसूचित उत्पाद निम्नलिखित प्रकार से हैं:

क्रम. संख्या	कार्यालय का नाम	आरसीएमसी की कुल संख्या (नए)	आरसीएमसी की कुल संख्या (नवीनीकरण)	आरसीएमसी की कुल संख्या (संशोधन)
1	बैंगलुरू	1480	427	889
2	दिल्ली	1457	470	978
3	गुवाहाटी	104	26	48
4	हैदराबाद	435	81	210
5	कोलकाता	484	109	242
6	मुम्बई	2848	717	1594
7	चैन्नई	80	10	26
	कुल	**6888**	**1840**	**3987**

4.2 पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)

4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी जारी करना

महानिदेशक विदेशी व्यापार, भारत सरकार, नई दिल्ली (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 18/2015–20 दिनांक 1 अगस्त 2016 के द्वारा एपीडा में बासमती चावल के कॉन्ट्राक्ट के पंजीकरण के शर्ताधीन भारत से बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है। एपीडा द्वारा जारी व्यापार सूचना 16/09/2016 और तदुपरान्त समय–समय पर जारी किए गए संशोधनों की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद पंजीकरण सह आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी किए जाते है।

आरसीएसी की कुल संख्या	जारी मात्रा (मिलियन मेट्रिक टन)	कुल एफओबी मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)
33329	4.5	4497.2

4.2.2 मूंगफली और मूंगफली के उत्पादों के निर्यात के लिए जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई)

एपीडा द्वारा मूंगफली और मूंगफली के उत्पादों के निर्यातकों/प्रोसेसरों को उस मात्रा के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जो एफलेटोक्सिन जांच में पास होता है जो अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर होता है जो यह बताता है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रोसेसिंग इकाई और वेयरहाउस में की गई है। सीओई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर एपीडा प्रक्रिया की अनुपालना की जांच करता है और उसके बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सीओई को ऑनलाइन जारी किया जाता है।

कुल सीओई	मात्रा (मिलियन मेट्रिक टन में)
32668	627500

5. एपीडा में राजभाषा का कार्यान्वयन

एपीडा ने राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यलयी कार्य में अधिक प्रयोग के लिए एपीडा मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा 1976, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित दिशानिर्देशों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे हैं।

एपीडा ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और उसके उद्देश्यों के उचित कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया तथा कार्यालय द्वारा इस दिशा में ठोस प्रयास किये गए। एपीडा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यलयी कार्यों में राजभाषा, हिंदी का उपयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है।

एपीडा द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और एपीडा ने राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए निम्न प्रभावी कदम उठाए हैं:–

- राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए एपीडा अध्यक्ष डॉ. एम. अंगामुथु की अध्यक्षता में अक्टूबर 2020 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया।
- भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों को 2020–21 के दौरान प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया था।
- राजभाषा नीति के संबंध में जानकारी प्रदान कर, विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन कर कर्मियों में जागरूकता और संवेदनशीलता लाई गई।
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों और निरीक्षणों के माध्यम से एपीडा के कार्यलयी कार्य में हिंदी के उपयोग से संबंधित संवैधानिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की निगरानी की।
- एपीडा भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/संस्थाओं/संगठनों के लगातार संपर्क में है।
- वर्ष के दौरान नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।
- राजभाषा नियम संख्या 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाता है।
- राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार की और उसे लागू किया। कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्ष के दौरान सार्वधिक कार्य हिंदी में करने के लिए नकद पुरस्कार दिए गए।
- एपीडा ने नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से और नियमित रूप से भाग लिया है।
- हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने और दिन–प्रतिदिन के कार्य में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, जिसमें हमने राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एपीडा अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों और कार्मिकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना ताकि उन्हें राजभाषा नीति के प्रचार–प्रसार के लिए सरकार के आदेशों से परिचित कराया जा सके।
- कोविड–19 महामारी में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन 14 से 28 सितंबर 2020 तक किया गया था। संचार की नियमित विधा के रूप में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

- 14–09–2020 को वर्चुअल के माध्यम से हिंदी दिवस मनाया गया।
- राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय की सभी फाइल कवरों पर द्विभाषी रूप में दैनिक प्रयोगों में आने वाले वाक्याशों को मुद्रित किया गया जिससे अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी टिप्पणी करने में सहायता हो।
- प्रत्येक विभाग में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और संबंधित विभाग के राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी को नामित किए गए।
- एपीडा वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है और समय–समय पर इसे अपडेट किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 18 नवम्बर, 2020 को एपीडा मुख्यालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण संतोषजनक रहा।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट, छमाही रिपोर्ट और वार्षिक मुल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर और संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत की गई।
- एपीडा के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 मार्च 2021 को किया गया जो संतोषजनक रहा।
- एपीडा के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण निदेशक (राजभाषा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को किया गया है।
- राजभाषा के कार्यान्वयन और हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए एपीडा ने पहल की है और निम्नलिखित ऑनलाइन प्रमाणपत्र द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं:

  क) आरसीएमसी

  ख) आरसीएसी

  ग) निर्यात के लिए प्रमाण पत्र

  घ) शेलिंग और ग्रेडिंग यूनिट की मान्यता का प्रमाणन

  ड़) बागवानी पैकहाउस के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र

  च) मांस प्लांटों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

6. एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना

एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना एपीडा द्वारा संचालित एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। यह निम्नलिखित द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करता है:

- कृषि–निर्यातकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों को समझना।
- इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने और एपीडा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए।
- वित्तीय सहायता तीन व्यापक क्षेत्रों में प्रदान की जाती है, अर्थात निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास।

6.1 बाजार विकास

यह निर्यातकों को नए बाजारों में बाजार पहुंच प्राप्त करने और मौजूदा बाजारों में अपनी स्थिति बनाएं रखने में सहायक है। इसमें खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए संरचित विपणन योजना सूचित निर्णय लेने के लिए मार्केट इंटलिजेंस, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र, कौशल विकास क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग को शामिल किया गया है। इस सहायता के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
- व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान
- क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन
- नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों का विकास करना और मौजूदा मानकों का उन्नयन करना

6.2 अवसंरचना विकास

एपीडा कृषि उद्योगों के विकास और मूल्य श्रृंखला में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना के महत्व को मान्यता देता है। योजना में ताजा उत्पादन और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दोनों शामिल हैं। योजना का उद्देश्य खराब होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों का गुणवत्ता उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, फसल कटाई उपरांत सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

- अवसंरचना जैसे पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैक हाउस सुविधाएं
- शीत भंडारण और रेफ्रिजरेटर परिवहन आदि के साथ प्री–कूलिंग इकाइयां।
- केले जैसी फसलों के प्रबंधन के लिए केबल प्रणाली
- सामान्य अवसंरचना सुविधाएं
- आयात करने वाले देशों की पादप–स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पूर्व–शिपमेंट उपचार सुविधाएं जैसे विकिरण, उच्च वाष्प उपचार (वीएचटी), गर्म पानी डुबकी उपचार (एचडब्ल्यूडीटी)।
- मिसिंग गैप को दूर करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं (प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र) के लिए अवसंरचना जिसमें एक्स–रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टेक्स, गंदगी/मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर या खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए कोई नया उपकरण या प्रौद्योगिकी जैसे उपकरण शामिल हैं।

6.2 गुणवत्ता विकास

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने/संलग्न होने के लिए, विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। कई आयात करने वाले देश कड़े अधिकतम अवशेषों के स्तर (एमआरएल) के पालन की मांग करते हैं। विकसित आयातक देशों में से कुछ ने बहुत कम स्तर पर एमआरएल की स्थापना की है। इसके लिए, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च परिशुद्धता उपकरणों को स्थापित करना आवश्यक है। इस घटक के अंतर्गत आयातक देशों के निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती हैः

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
- प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण,
- ट्रैसबिल्टी सिस्टम और नमूने आदि के परीक्षण के लिए फर्म स्तर परिधीय निर्देशांक को पकड़ने के लिए हैंड होल्ड उपकरणों।
- पानी, मिट्टी, अवशेषों या कीटनाशकों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, दूषित पदार्थों आदि का परीक्षण ।

एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए, एपीडा ने वर्चुअल मोड के माध्यम से वर्ष के दौरान छह तकनीकी समिति (टीसी) बैठकें आयोजित कीं और 100 से अधिक प्रस्तावों की जांच की गई और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र जारी किए गए।

वर्ष 2020–21 का बजट विवरण इस प्रकार है:

2020–21 के लिए बजट विवरण (राशि करोड़ में)

	विवरण	2020–21 वर्ष के लिए आबंटित कुल बजट	व्यय राशि	शेष देय
नियोजित योजना				
क	सहायता अनुदान सब्सिडी			
1)	परिवहन सहायता योजना	24.41	24.41	शून्य
2)	बाजार विकास	10.73	10.73	शून्य
	कुल (क)	**35.14**	**35.14**	**शून्य**
ख	पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए अनुदान			
1)	अवसंरचना विकास	37.46	37.46	शून्य
	कुल (ख)	**37.46**	**37.46**	**शून्य**
ग	सामान्य सहायता अनुदान			
1)	गुणवत्ता नियंत्रण	7.00	7.00	शून्य
	कुल (ग)	**7.00**	**7.00**	**शून्य**
घ	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)			
	(i) सहायता अनुदान (सामान्य)	1.00	1.00	शून्य
	(ii) सब्सिडी	1.00	1.00	शून्य
	(iii) पूंजीगत संपत्ति का निर्माण	1.00	1.00	शून्य
	कुल (घ)	**3.00**	**3.00**	**शून्य**
ड	कृषि निर्यात नीति	1.00	1.00	शून्य
	कुल (ड)	**1.00**	**1.00**	**शून्य**
	सकल योग (क+ख+ग+घ+ड)	**83.60**	**83.60**	**शून्य**

7. एपीडा ई–गवर्नेंस प्रयास

एपीडा हमेशा भारत से निर्यात के संवर्धन और विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अग्रणी रहा है। एपीडा ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान मौजूदा ई–गवर्नेंस प्रणाली को बढ़ाने और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए कई पहल की हैं। मौजूदा सुविधाओं के सरलीकरण और युक्तिकरण और ई–गवर्नेंस को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण पेश करने पर जोर दिया गया है।

1. क्लाउड स्थानांतरित

एपीडा ने डेटा और ऑनलाइन आवेदनों को सर्वर से भुवनेश्वर स्थित एनआईसी क्लाउड में स्थानांतरित किया। एपीडा के पास महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं जो निर्यातकों, किसानों, एफपीओ/सहकारी समितियों, प्रयोगशालाओं, राज्य सरकार के अधिकारियों, भारत के दूतावासों आदि द्वारा उपयोग किए जाते हैं और सभी संबंधित हितधारकों द्वारा 24x7 उपयोग किया जा सकता है। एपीडा द्वारा सभी अनिवार्य निर्यात प्रमाण पत्र और सभी इकाई पंजीकरण ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, एपीडा अपनी वेबसाइट, ट्रेसेबिलिटी आवेदन, एग्रीएक्सचेंज पोर्टल, किसान कनेक्ट पोर्टल और अन्य मोबाइल ऐप है जिसे अब सफलतापूर्वक क्लाउड एनआईसी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. वर्चुअल व्यापार मेले

कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल व्यापार मेले आवेदन का विकास पूरा किया गया था। प्लेटफार्म में प्रवेश द्वार हॉल, प्रदर्शक स्टाल और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार विकल्प शामिल था। पहला वर्चुअल व्यापार मेला "इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी शो" 10–12 मार्च, 2021 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। संवादात्मक रूप से निर्यातक अपने खाद्य उत्पादों की श्रृंखला का प्रदर्शन करने और उन्हें खरीदारों को बेचने में सक्षम थे, जिससे यह कार्यक्रम सफल रहा।

3. किसान कनेक्ट पोर्टल

किसान कनेक्ट पोर्टल एपीडा द्वारा एफपीओ/एफपीसी/सहकारी समितियों और निर्यातकों के लिए ऑनलाइन दृश्यता डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पोर्टल आईसीटी प्लेटफॉर्म की सहायता से अपनी खरीद और बिक्री आवश्यकताओं के लिए किसानों को निर्यातकों के साथ–साथ निर्यातकों को एफपीओ जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है।

4. ई–ऑफिस

ई–ऑफिस परियोजना का उद्देश्य अधिक प्रभावी और पारदर्शी अंतर और अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं का सूत्रपात करके सरकार का समर्थन करना है। ई–ऑफिस का विजन एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्य को प्राप्त करना है। एपीडा ने ई–ऑफिस एप्लीकेशन शुरू करने की पहल की और इस पर एपीडा के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ई–ऑफिस कार्यान्वयन में नोटिंग, द्विभाषी में मसौदा पत्र निर्माण और इसकी मंजूरी, सहायक दस्तावेजों के साथ ई–फाइल प्रोसेस आदि शामिल हैं।

5. प्याज, पान के पत्तों, अन्य फलों और सब्जियों के लिए हॉर्टीनेट ट्रेसबिल्टी

एपीडा ने न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ पंजीकरण करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करके एपीडा हितधारकों की सुविधा के लिए प्याज, पान के पत्तों, अन्य फलों (5) और सब्जियों (43) के लिए हॉर्टीनेट में कृषि पंजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की। संबंधित हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

6. डिजिटल कैलेंडर और कार्य योजना मॉडयुल

एपीडा के आई–ट्रैक, आंतरिक सॉफ्टवेयर सिस्टम की एक प्रणाली, जो कार्य योजना प्रविष्टियों की कैलेंडर–वार (मासिक और वार्षिक) उपयोग की अनुमति देती है। एपीडा अधिकारियों को अपनी सभी गतिविधियों को पहले से अच्छी तरह से योजना बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था जिससे एपीडा अधिकारियों को अपने संबंधित भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने और दस्तावेज करने में मदद मिले।

7. प्रमाणन निकाय प्रत्यायन मॉड्युल

एपीडा ने निर्यातकों को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और ऑनलाइन अपने दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रदान की, जो बिना किसी भौतिक परेशानी के दस्तावेज जमा करने का सुविधाजनक तरीका है। निर्यातक को आवश्यक बुनियादी जानकारी के साथ एक विस्तृत फॉर्म के बाद क्रेडेंशियल्स भरने की जरूरत है। सभी विवरण भरने के बाद, उपयोगकर्ता कुछ ही क्लिक के भीतर कुछ दस्तावेज और फाइलें जमा कर सकता है।

8. एपीडा विकिपीडिया

विकिपीडिया से अनुमोदन के अनुसरण में, एपीडा ने सभी नवीनतम सूचनाओं के साथ साइट पर अपनी विकिपीडिया सामग्री को उन्नत किया।

9. एग्री एक्सचेंज

एग्री एक्सचेंज भारतीय निर्यातकों और उद्यमियों के लिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के साथ–साथ भारतीय निर्यातकों और वैश्विक खरीदारों को उनकी आवश्यकताओं को साझा करने के लिए एक मंच है। यह यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और ट्रेड लीड्स निःशुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल यूएन कॉमट्रेड, एफएओ, डब्ल्यूटीओ, यूएसडीए, एगमार्क, कृषि मंत्रालय और डीजीसीआईएस आदि जैसे विश्वसनीय स्रोतों से अद्यतन व्यापार डेटा प्रदान करता है। पोर्टल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का निर्यात/आयात, नीतिगत उपाय, आयात शुल्क, बेंचमार्क मूल्य, देश प्रोफ़ाइल और सेवा प्रदाता आदि शामिल हैं।

- दैनिक कृषि–समाचार पत्र 34,000 से अधिक हितधारकों को परिचालित किए गए हैं।
- माहवार तुलनात्मक विवरण, डीजीसीआईएस त्वरित अनुमान, प्रवृत्ति विश्लेषण आदि से त्वरित अनुमान।
- एपीडा उत्पादों का भारत का निर्यात / आयात डेटा

- वर्ष 2020 तक एपीडा उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा
- 26 बाय लीड और 846 सेल लीड प्रकाशित किए गए हैं।
- 2723 निर्यातकों/आयातकों को व्यापारियों के साथ मेल के माध्यम से जोड़ा गया।
- 639 बाजार रिपोर्ट अद्यतन
- 918 एसपीएस अधिसूचना जारी और परिचालित

10. मार्केट इंटेलिजेंस

एपीडा ने चिन्हित उत्पादों पर मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट संकलित करने का प्रयास किया है और एग्री एक्सचेंज पोर्टल पर "मार्केट इंटेलिजेंस ई–बुलेटिन" के रूप में होस्ट किया है। मार्केट इंटेलिजेंस बुलेटिन में विभिन्न प्रतिष्ठित स्रोतों से एपीडा द्वारा एकत्रित नवीनतम मार्केट इंटेलिजेंस और विश्लेषणात्मक इनपुट शामिल हैं। 27 ई–बुलेटिन प्रकाशित किए गए हैं और हितधारकों को परिचालित किए गए हैं।

11. अन्य गतिविधियां

- सभी ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए कार्यान्वित भुगतान समाधान सुविधा।
- निर्यात आयात व्यापार आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का संकलन और विकास पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस की सदस्यता लेना।
- बासमती चावल, ट्रेसनेट, हॉरटिनेट और मोबाइल एप के लिए ऑनलाइन पेपर रहित आवेदन के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 93 से अधिक संसद के प्रश्नों में भाग लिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को उपयुक्त जानकारी संकलित कर प्रदान की गई।
- एपीडा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू आदि पर बहुत सक्रिय है। एपीडा ने नियमित रूप से सूचना के प्रसार के लिए सभी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्र पर उपयोगी जानकारी के बारे में ट्वीट किया।

8. बागवानी क्षेत्र (ताजे फल और सब्जियां एवं पुष्पकृषि)

8.1 निर्यात संवर्धन पहल

8.1.1 कोविड 19 महामारी के कारण, एपीडा ने ताजे फल और सब्जियों निर्यातकों और आयातकों के बीच वर्चुअल बी 2 बी बैठकों का आयोजन करके निर्यात के लिए बाजार संपर्क का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से किया गया।

8.1.2 एपीडा ने यूएई, कुवैत, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, कतर और वियतनाम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम को कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें (वीबीएसएमएस) में ताजे फल और सब्जियों के निर्यातकों की भागीदारी को भी सुगम बनाया।

8.1.3 जापान सरकार ने एनपीपीओ भारत के माध्यम से किए गए सत्यापन के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्थित सुविधाओं से भारतीय आमों के आयात की अनुमति दी है।

8.1.4 कोरिया सरकार ने भारत के एनपीपीओ, फाइटो सेनेटरी प्रमाण–पत्र के माध्यम से वाष्प ताप उपचार द्वारा भारतीय आमों के आयात की अनुमति दी है। पशु और पादप संगरोध प्राधिकरण (एपीक्यूए) भारत के फाइटोसैनेटिक प्रमाण–पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

8.1.5 राष्ट्रीय पादप संरक्षण प्रभाग, अर्जेंटीना ने विकिरण उपचार द्वारा अर्जेंटीना को भारतीय आमों के आयात की अनुमति दी है।

8.1.6 कृषि उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन मंचों की स्थापना

ताजे फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंगूर, प्याज, आम, अनार और पुष्पकृषि, केले के निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) का गठन किया गया। फॉरम का उद्देश्य इन उत्पादों की निर्यात क्षमता, सामना किए जाने वाले मुद्दों और निर्यात बढ़ाने के लिए रोड मैप पर विचार करने वाले हितधारकों के साथ विचार–विमर्श करना है। इन सभी फॉरम की बैठक 2020–21 के दौरान आयोजित की गई थी।

8.2 बाजार पहुच मुद्दे

8.2.1 ऑस्ट्रेलिया को अनार फल के निर्यात की बाजार पहुंच प्राप्त हुई। एपीडा ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की।

8.2.2 ऑस्ट्रेलिया एनपीपीओ विभाग ने मानव उपभोग के लिए भारत से भिंडी के लिए आयात जोखिम विश्लेषण पर प्रारंभिक कार्य प्रगति की है।

8.2.3 एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय और कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सक्रिय बातचीत के साथ भूटान को निर्यात के लिए प्याज, भिंडी और टमाटर के लिए बाजार पहुंच प्राप्त हुई।

8.2.4 यूरोपीय संघ को हरी मिर्च के निर्यात पर प्रक्रिया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की यूरोपीय संघ की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है और भारतीय दूतावास, ब्रसेल्स के माध्यम से यूरोपीय आयोग को प्रस्तुत किया।

8.2.5 सर्बिया द्वारा भारतीय आलू, प्याज और अनार और अनार एरिल के लिए बाजार पहुंच प्राप्त हुई।

8.2.6 संयुक्त राज्य अमेरिका को आमों के निर्यात के लिए पूर्ववर्ती कार्यक्रम के निरीक्षण के हस्तांतरण के लिए परिचालन कार्य योजना

एपीडा और कृषि मंत्रालय निरीक्षण की उच्च लागत को कम करने और अधिक संख्या में निर्यातकों के लिए अमेरिका को आमों के निर्यात के अवसर को सुलभ बनाने के लिए भारत में अमेरिकी निरीक्षक को तैनात करने के बजाय एनपीपीओ भारत को पूर्व मंजूरी कार्यक्रम के निरीक्षण के हस्तांतरण के लिए यूएसडीए एपीएचआईएस के साथ बातचीत कर रहे हैं।

8.2.7 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अंगूर के निर्यात के लिए स्वचालित फ्यूमीगेशन चैंबर प्रोटोकॉल के विकास के लिए परियोजना

एपीडा ने एसओ$_2$ और सीओ$_2$ के साथ अंगूर के उपचार के लिए स्वचालित फ्यूमीगेशन चैंबर के विकास और आईसीएआर–सीआईपीएचईटी, लुधियाना और एनआरसी अंगूर, पुणे के सहयोग से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अंगूर के निर्यात के लिए उपचार प्रोटोकॉल के मानकीकरण की सुविधा प्रदान की। नासिक में ऑटोमेटेड फ्यूमिगेशन चैंबर की स्थापना की गई है। सुविधा और प्रोटोकॉल का प्रदर्शन परियोजना स्थल पर सभी संबंधित हितधारकों की उपस्थिति में ऑनसाइट और वर्चुअल माध्यम से पूरा किया गया है। इस प्रोटोकॉल से अंगूर के निर्यात के लिए न्यूजीलैंड के साथ बाजार पहुंच वार्ता में आसानी होगी।

8.3 व्यापार सुविधा

8.3.1 कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान ताजे फलों और सब्जियों के 200 से अधिक निर्यातकों के साथ बातचीत की। ऑपरेटिंग पैकहाउसों के लिए अनुमति, पैकेजिंग यूनिट, श्रमिकों के लिए पास, चालक उपलब्धता, आईसीडीएस का संचालन, कंटेनर उपलब्धता, पीएससी जारी करने में देरी, प्रयोगशाला शुरू नहीं होने, आयातक देशों द्वारा स्कैन दस्तावेजों की स्वीकृति की समस्या, सीओओ जारी करने में समस्या जैसे कई मुद्दे संबंधित विभाग/संगठन के समक्ष लाया गया और निर्यातकों को निर्यात फिर से शुरू करने में सुविधा रहीं।

8.3.2 परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) को बढ़ाने, एमईआईएस को जारी रखने और रॉडटेप के कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी विभागों के साथ प्रस्ताव दिया गया।

8.3.3 कृषि उत्पादों को ले जाने के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस की कार्गो उड़ानों के संचालन के लिए निर्यातकों को सुविधा प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी हवाई माल ढुलाई हुई है।

8.3.4 रेल मंत्रालय को संतरे के निर्यात के लिए अमरावती, महाराष्ट्र से बांग्लादेश के लिए रिफर कंटेनर शुरू करने के लिए आश्वस्त किया गया। निर्यातकों की सुविधा के लिए अब रैफर कंटेनर ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया है।

8.3.5 निर्यात के लिए पैकहाउस मान्यता/निरंतरता के लिए सुविधा

- कोविड 19 महामारी के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भौतिक निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण व्यापार करने में आसानी और निर्यातकों द्वारा अनुपालन में कमी के लिए, बागवानी उत्पादों के लिए पैकहाउसों की मान्यता की वैधता 31–07–2021 तक बढ़ा दी गई।

- कोविड में, पैक हाउस मान्यता के लिए वर्चुअल निरीक्षण किया गया।

9 प्रसंस्कृत और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

9.1 निर्यात संवर्धन पहल

9.1.1 कनाडा के खाद्य एलर्जेन और लेबलिंग आवश्यकताओं पर कार्यशालाएं

भारत से कनाडा में खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने और लगातार सीमा मुद्दों की समस्या के समाधान हेतु एपीडा ने भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी (सीएफआईए) के सहयोग से वर्चुअल माध्यम से दो कार्यशालाओं का आयोजन किया। सीएफआईए द्वारा कनाडा की आयात आवश्यकताओं, प्रमुख विशेषताएं और खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण के कुशल अनुप्रयोगों के साथ–साथ विशिष्ट रूप से खाद्य आयात आवश्यकताओं को स्पष्ट किया।

- पहली कार्यशाला 1 दिसंबर 2020 को खाद्य उत्पाद में कनाडा की एलर्जेन आवश्यकताओं और लगातार सीमा समस्या के समाधान पर आयोजित की गई थी।

- दूसरी कार्यशाला का आयोजन 5 मार्च 2021 को खाद्य उत्पाद आयात–शिपमेंट पर कनाडा की लेबलिंग आवश्यकताओं पर किया गया था और इस लगातार सीमा समस्या के समाधान पर आयोजित की गई थी।

यह वेबिनार न केवल कनाडा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के निर्यात में रुचि रखने वाले भारतीय खाद्य निर्यातकों के लिए मूल्यवान थे, जो कोडेक्स और मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सामंजस्यपूर्ण मानकों के अनुरूप है।

9.1.2 ईसबगोल के जीएपी और मूल्य संवर्धन पर वेबिनार

दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और डीबीटी–एसएबीसी बायोटेक्निक किसान हब, जैव प्रौद्योगिकी विभागः भारत सरकार, आईसीएआर–डीएमएपीआर, कृषि विभाग और आरएसएएमबी, राजस्थान सरकार, इसबगोल के निर्यातकों और प्रोसेसर के सहयोग से 12 जनवरी 2021 को "गुड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस (जीएपी), प्रोसेसिंग और वैल्यू एडीशन ऑफ इसबगोल (साइलियम)" पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

9.1.3 निर्यातकों के साथ निर्यात संवर्धन बैठकें

एपीडा ने सीआईआई के सहयोग से दिसंबर और मार्च 2020–21 में अनाज और अनाज से तैयार उत्पाद के निर्यातकों के साथ बैठक का आयोजन किया। निर्यातकों द्वारा उठाए गए रॉडटेप और पीएलआई योजनाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करना, मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन, भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांड संवर्धन आदि का समाधान किया गया। अनाज आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात संवर्धन की योजना पर भी चर्चा की गई।

9.1.4 राजस्थान से अनार का निर्यात संवर्धन और सोर्सिंग

राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में निर्यात योग्य अनार उत्पादन की अच्छी मात्रा को देखते हुए राजस्थान से सोर्सिंग के लिए एकत्रित किया गया। उत्पादन क्षेत्र में अनार के निर्यातकों और एफपीओ/किसानों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया था और निर्यातकों ने जनवरी और मार्च 2021 के दौरान निर्यात और अरिल प्रयोजन के लिए राजस्थान से 800 मीट्रिक टन से अधिक अनार मंगाए हैं

9.2 व्यापार सुविधा–मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों का पंजीकरण

एपीडा ने आयातक देशों की गुणवत्ता आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मूंगफली के छिलके/ग्रेडिंग/प्रसंस्करण और गोदाम इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की थी। वर्ष 2020–21 के दौरान, एपीडा ने 37 नई मूंगफली इकाइयों को पंजीकृत किया और एपीडा के ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से 114 इकाइयों का वैधता का नवीनीकरण/विस्तार किया।

10. पशुधन क्षेत्र

10.1 निर्यात संवर्धन पहल

10.1.1 पशुधन उत्पादों के निर्यातकों के साथ नियमित रूप से बातचीत की। प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन की अनुमति, श्रमिकों के लिए पास, चालक की उपलब्धता, कंटेनर की उपलब्धता, प्रयोगशाला का संचालन न होना, आयात करने वाले देशों द्वारा स्कैन किए गए दस्तावेजों की स्वीकृति की समस्या आदि जैसे कई मुद्दों को संबंधित विभागों/संगठनों के ध्यान में लाया गया और निर्यात फिर से शुरू करने के लिए निर्यातकों को सक्षम बनाया गया।

10.1.2 एपीडा ने आईसीएआर–एनआरसीएम, हैदराबाद के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला में शामिल व्यापारियों और अन्य हितधारकों के प्रसंस्करण के लिए "कोविड –19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार की रक्षा के लिए मांस, मुर्गी और अंडे के उत्पादन के दिशा–निर्देशों को संभालने" के लिए दस्तावेज तैयार किए।

10.1.3 कोविड–19 के दौरान, पोल्ट्री उत्पादों के परीक्षण के लिए पोल्ट्री निर्यातकों को भोपाल प्रयोगशाला में नमूने भेजने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था (इस परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है) क्योंकि कूरियर सेवाएं काम नहीं कर रही थीं। एपीडा ने वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं और इस मुद्दे को हल करने में मदद की और डीएएचडी ने नमक्कल में प्रयोगशाला और बैंगलोर में क्षेत्रीय निदान प्रयोगशाला को पोल्ट्री उत्पादों के नमूने के लिए अधिकृत किया।

10.1.4 कोविड–19 महामारी के दौरान मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की वैधता बढ़ा दी गई थी।

10.1.5 डेयरी उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन फोरम (ईपीएफ)

डेयरी निर्यात और व्यापार बढ़ाने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए डेयरी ईपीएफ का गठन किया गया है और निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा करने के लिए डेयरी उत्पादों के हितधारकों के साथ बैठकें की गई हैं। मुद्दों को संबंधित संगठनों के ध्यान में लाया गया और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को विभिन्न देशों जैसे रूस, सऊदी अरब, मिस्र आदि के समक्ष लाया गया।

10.1.6 डेयरी उत्पादों के लिए क्लस्टर गठन

कृषि निर्यात नीति (एईपी) के अंतर्गत डेयरी उत्पादों के विकास के लिए मथुरा (यूपी) और बनासकांठा (गुजरात) में दो क्लस्टर बनाए गए थे। क्लस्टरों में किसानों, डेयरी मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें (भौतिक और वर्चुअल), क्षेत्र का दौरा, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10.2 बाजार पहुंच मुद्दे

10.2.1 पशुधन उत्पादों के लिए एपीडा और सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (एसएफडीए) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर

एपीडा ने भैंस/भेड़/बकरी के मांस के निर्यात को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार से सरकारी सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर करने के लिए सऊदी अरब का अनुसरण किया। वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित मसौदा एमओसी हस्ताक्षर के लिए एसएफडीए को प्रस्तुत किया गया।

10.2.2 भारत से सऊदी अरब को निर्यात किए गए स्किम्ड दूध पाउडर में एफ्लाटॉक्सिन के स्तर के संबंध में मुद्दे का समाधान

भारत से सऊदी अरब को निर्यात किया गया स्किम्ड दूध पाउडर, संकेन्द्रण कारक पर विचार किए बिना अनुपालन मूल्यांकन के अधीन था। इसके परिणामस्वरूप स्किम्ड दूध पाउडर जिसमें एफ्लाटॉक्सिन एम1 की मात्रा कम से कम 1 माइक्रोग्राम/किग्रा (जो दूध में 0.1 माइक्रोग्राम/किलोग्राम के बराबर है) को अस्वीकार कर दिया गया। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि खाद्य "एसएफडीए एफडी 193" में संदूषकों और विषाक्त पदार्थों के लिए एसएफडीए तकनीकी नियमन में कहा गया है कि डेयरी उत्पादों में एमएल 0.5 माइक्रोन/किलो है जो कोडेक्स डेटाबेस से अपनाए गए कोडेक्स एलिमेंटेरियस मानकों का अनुपालन करता है और जब कोई एमएल संकेत नहीं है तब वे मामले द्वारा जोखिम आधार मूल्यांकन मामला संचालित करते हैं। एपीडा ने वाणिज्य विभाग के सहयोग से सऊदी अरब के साथ बैठकों में इस मुद्दे को उठाया। समस्या का समाधान किया गया है और एसएफडीए 193 दस्तावेजों ने दूध उत्पादों के लिए संकेन्द्रीय कारक लागू किया है, तदनुसार एफ्लाटॉक्सिन का स्तर कोडेक्स मानकों के अनुसार है।

10.2.3 भारत से मिस्र को निर्यात किए गए स्किम्ड दूध पाउडर में एफ्लाटॉक्सिन के स्तर के संबंध में समस्या का समाधान

भारत से मिस्र को निर्यात किए जाने वाले स्किम्ड दूध पाउडर में एफ्लाटॉक्सिन के स्तर के लिए मुद्दा हल किया गया है।

10.2.4 भारत से संयुक्त अरब अमीरात को पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात

एवियन इंफ्लूएंजा के फैलने के बाद भारत से यूएई में पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में कमी को दूर करने के लिए एपीडा ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें एपीडा, पशुपालन विभाग और एमओसीसीएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से यूएई में अंडे और पुराने चिक्स के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के प्रारूप पर सहमति बनाई गई। मसौदा को पशुपालन और डेयरी विभाग को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। यह यूएई को पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात के अवसर प्रदान करेगा।

10.2.5 सूअर पर बाजार पहुंच के लिए एपीडा ने भारतीय दूतावास सियोल, दक्षिण कोरिया को पत्र लिखा है। एपीडा ने डीएएचडीएफ, कृषि मंत्रालय से नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और दक्षिण कोरिया के साथ ताजा/जमे हुए सुअर के मांस (पोर्क) के निर्यात के लिए बाजार पहुंच के लिए अनुरोध किया है।

11. अनाज सेक्टर

11.1 निर्यात संवर्धन पहल

11.1.1 चावल निर्यात संवर्धन फोरम को अधिक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए बनाया और सक्रिय किया गया था और चावल के निर्यात संवर्धन में निर्यातकों की अधिक भागीदारी और भूमिका सुनिश्चित करने और उत्पादन और निर्यात में आने वाले मुद्दों/चुनौतियों/बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था।

11.1.2 चावल निर्यात संवर्धन फोरम के तत्वावधान में बासमती चावल और गैर बासमती चावल के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें बनाई गई हैं।

11.1.3 विविध विदेशी बाजार में भारतीय चावल के प्रकारों के योगदान का विस्तार करने और चावल आधारित खाद्य उत्पादों के लिए बाजार सुरक्षित करन के माध्यम से भारतीय चावल उद्योग का समर्थन करने के लिए एपीडा ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईआरआरआई) को निम्न दो अध्ययनों के लिए सम्मानित किया है।

- चावल और चावल आधारित खाद्य प्रणाली से मूल्य वर्धित उत्पाद
- गैर बासमती चावल की व्यापक अनाज और पोषण गुणवत्ता रूपरेखा

11.1.4 बाजरा की क्षमता और पोषक अनाज के निर्यात के लिए दिए गए वर्तमान फोकस को ध्यान में रखते हुए एपीडा ने बाजरा की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और बाजरा के मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के मद्देनजर निर्यात योजना के शोधन पर एक अध्ययन प्रदान किया है:

11.1.5 बाजरा के निर्यात की आपूर्ति श्रृंखला के आयोजन के लिए बाजरा की निर्यात क्षमता के लिए एक योजना दस्तावेज तैयार किया गया था।

11.1.6 गैर बासमती चावल व्यापार की आवश्यकता के अनुसार, चावल के निर्यात के लिए डीप वाटर पोर्ट काकीनाडा को सक्रिय करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया और काकीनाडा पत्तन प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई और चावल की पहली खेप को डीप वाटर पोर्ट काकीनाडा से अफ्रीकी देश भेज दिया गया।

11.1.7 क्षेत्रीय चावल की विशिष्ट किस्मों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई और लाल चावल की पहली खेप – बाओ धान को असम से हरी झंडी दिखाई गई।

11.1.8 क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कार्यशाला, संवेदीकरण कार्यक्रम

अनाज क्षेत्र के निर्यातकों के क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- बीईडीएफ के माध्यम से बासमती चावल में अच्छी कृषि पद्धतियों और कीटनाशकों के उचित उपयोग पर किसानों में जागरूकता लाने के लिए सैंतालीस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- बासमती डॉट नेट सिस्टम में किसानों के पंजीकरण पर राज्य कृषि अधिकारियों के लिए उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।
- बाजरा स्टार्ट–अप और एफपीओ के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम सह वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया।
- 15 दिसंबर 2020 को जैविक बासमती चावल के निर्यात, मूल्य संवर्धन और उत्पाद विविधीकरण में अवसरों पर कार्यशाला आयोजित की गई।

12. जैविक क्षेत्र

12.1 जैविक उत्पादों का निर्यात

भारत ने एनपीओपी के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 888179 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जबकि वर्ष 2019–20 में 638998 मीट्रिक टन किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान जैविक उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2019–20 की तुलना में मूल्य (मिलियन अमरीकी) के सम्बन्ध में 51 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जबकि मात्रा में 39 प्रतिशत वृद्धि रही है।

भारतीय जैविक उत्पादों को 58 देशों में निर्यात किया गया है लेकिन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इज़राइल, दक्षिण कोरिया आदि को निर्यात किया गया है।

आयल केक मील देश से निर्यात किए जाने वाले जैविक उत्पादों में प्रमुख स्थान पर है जिसके बाद तेल बीज, फल लुगदी/प्यूरी, अनाज और बाजरा, मसाले और मसालों, चाय, औषधीय संयंत्र उत्पादों, शुष्क फल, चीनी, दालें, कॉफी, आवश्यक तेल आदि शामिल है।

12.2 देशों के साथ आपसी मान्यता

आयात करने वाले देशों के साथ मान्यता समझौतों से अतिरिक्त प्रमाणन के बिना जैविक उत्पादों के निर्यात में आसानी होती है, इसलिए चल रही वार्ताओं को समाप्त करने के प्रयास जारी रखे जा रहे हैं और कुछ और आयातक देशों को शामिल करने के लिए पहल की गई है। असंसाधित संयंत्र उत्पादों के लिए यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड के साथ मौजूदा तुल्यता और ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय जैविक उत्पादों की स्वीकृति को जारी रखने के अलावा, निम्नलिखित वार्ताएं चल रही हैं।

1. ताइवान – हालांकि भारत ने 2009 में ताइवान के जैविक मानकों के साथ एनपीओपी की समानता के लिए पहल की, ताइवान ने जैविक प्रणाली की आपसी मान्यता के लिए आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तदनुसार, दोनों देशों ने एक–दूसरे के मानकों की समीक्षा की और राष्ट्रीय विनियमन के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए ऑनसाइट मूल्यांकन किया जिसके बाद मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान किए गए। ताइवान के साथ आपसी मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर और पत्रों का आदान–प्रदान अंतिम चरण में है।

2. दक्षिण कोरिया – जैसा कि दक्षिण कोरिया ने जैविक प्रणाली के लिए भारत के साथ आपसी मान्यता के लिए आवेदन किया है, दोनों देशों ने ऑनसाइट मूल्यांकन पूरा किया। ऑनसाइट मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर, भारत ने कोरियाई मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पहलुओं के सत्यापन का अनुरोध किया है।

3. कनाडा – एपीडा ने कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी को अनुरूपता सत्यापन निकाय (कांफोर्मिटी वेरिफिकेशन बॉडी) के रूप में पद के लिए आवेदन किया, जिसके लिए दिसंबर 2018 में ऑनसाइट मूल्यांकन किया गया था, इस मामले को समझौते के समापन के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है।

4. यूरोपीय संघ – यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते की प्रक्रिया पर यूरोपीय आयोग के साथ विचार–विमर्श शुरू किया गया है।

5. ऑस्ट्रेलिया – दोनों देशों के बीच जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जैविक प्रणाली की आपसी मान्यता के लिए शुरू किया गया है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

6. न्यूजीलैंड – जैविक प्रणाली की आपसी मान्यता के लिए प्राथमिक उद्योग मंत्रालय, न्यूजीलैंड को भेजे गए प्रस्ताव का पालन किया गया है।

7. संयुक्त अरब अमीरात – संयुक्त अरब अमीरात को भेजे गए प्रस्ताव के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

12.3 प्रत्यायन गतिविधियां

एपीडा, आईएसओ–17011 आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। एपीडा आईएएफ का भी सदस्य है और नियमित आधार पर आईएएफ को सभी मान्यता संबंधी गतिविधियों पर अपनी टिप्पणियां और मतदान प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान प्रत्यायन संबंधी गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा भारतीय जैविक फाइबर और उत्पादों और जैविक कॉस्मेटिक सामग्री और निजी उपयोग (पर्सनल केयर) उत्पादों के लिए कस्टडी श्रृंखला के मानकों को अधिसूचित किया गया है और स्वैच्छिक आधार पर लॉन्च किया गया है।

2. एनपीओपी में उल्लिखित प्रत्यायन प्रक्रिया के आधार पर, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा चार नए प्रमाणन निकायों को शामिल किया गया और अब कुल 33 प्रमाणन निकायो उपलब्ध है।

3. एनएबी द्वारा प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन अफ्रीका में विदेशी प्रमाणन का विस्तार किया गया है।

4. एनपीओपी के तहत जैविक वस्त्रों के प्रमाणीकरण के लिए एनएबी द्वारा 2 प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन का विस्तार किया गया है।

5. प्रमाणन निकायों और आवेदक संगठनों के लिए प्रत्यायन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन मॉड्युल विकसित किया गया है।

6. जाली प्रमाण पत्र बनाकर धोखाधड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेसनेट में सुरक्षा सुविधा, ई–ट्रेस शुरू की गई है

7. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य के स्वामित्व वाली प्रमाणन निकाय की स्थापना के लिए प्रमाणन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

8. पशुपालन विभाग के साथ संयुक्त रूप से हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करके जैविक पशुधन और पोल्ट्री के मानकों को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है।

9. भारत, टोरंटो (कनाडा) के महावाणिज्य दूतावास के साथ संयुक्त रूप से दोनों देशों के 84 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ 14 अक्टूबर 2020 को "कनाडा को जैविक उत्पादों के निर्यात" पर वेबिनार का आयोजन किया गया है।

12.4 भारतीय जैविक फाइबर और इसके उत्पादों और कॉस्मेटिक और निजी उपयोग (पसर्नल केयर) उत्पादों के लिए कस्टडी की श्रृंखला के लिए जैविक मानक

एपीडा ने वस्त्र और आयुष मंत्रालय के परामर्श से भारतीय जैविक फाइबर और उसके उत्पादों और कॉस्मेटिक और निजी उपयोग उत्पादों के लिए कस्टडी की श्रृंखला के लिए जैविक मानक विकसित किए हैं। मानकों को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया है।

13. गुणवत्ता विकास

13.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

क) 215 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को एपीडा द्वारा अपने अनुसूचित उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए अधिकृत किया गया था

ख) एनआरसी अंगूर पुणे में राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) – ताजे फलों और सब्जियों और मूंगफली जैसे पौधों की उत्पत्ति के उत्पादों की निगरानी के लिए एनआरएल का निरंतर और उन्नयन शुरू किया गया।

ग) निर्यातकों की निर्माण इकाइयों द्वारा स्थापित बारह इन–हॉउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और निर्यात प्रमाणन के लिए खाद्य उत्पादों के नमूने और विश्लेषण के लिए तीन अधिकृत प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता विकास के लिए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके अपग्रेड किया गया था।

13.2 एचएसीसीपी कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियां

एचएसीसीपी, आईएसओ22000, आईएसओ–9001, बीआरसी और जीएपी के लिए निर्माण इकाइयों को कार्यान्वयन और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने के लिए पांच कार्यान्वयन और पांच प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता दी गई थी।

13.3 कीटनाशकों और एफ्लाटॉक्सिन की ऑनलाइन निगरानी

आयातक देश की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्यात प्रक्रियाओं का उन्नयन किया गया:

क) अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया – कृषि रसायनों के अवशेषों के नियंत्रण के लिए ताजा टेबल अंगूर के निर्यात के लिए ग्रेपडॉटनेट;

ख) अनार के निर्यात की प्रक्रिया – अनार के निर्यात के लिए अनारडॉटनेट;

ग) मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया – एफ्लाटॉक्सिन के नियंत्रण के लिए पीनटडॉटनेट;

घ) यूरोपीय संघ को ताजी हरी मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया – कृषि रसायनों के अवशेषों की निगरानी;

13.4 निर्यात मानक और सामंजस्य

क) दिनांक 24/09/2020 से 06/11/2020 तक आयोजित वर्चुअल कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 43वें सत्र में भाग लिया। वेयर आलू और आम की चटनी के लिए एपीडा द्वारा शुरू किए गए मानकों को सीएसी43 द्वारा अपनाया गया था;

ख) भारत गुलाबी प्याज (शालोट्स) का एक प्रमुख निर्यातक होने के नाते, एपीडा ताजे फल और सब्जी समिति में भारत के हितों की रक्षा के लिए ईरान द्वारा शुरू किए गए प्याज और शालोट मानक के विकास पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह की सह–अध्यक्षता कर रहा है;

ग) जुलाई 2020 के दौरान खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली (सीसीएफआईसीएस) पर कोडेक्स समिति द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में एपीडा में भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया;

13.5 अलर्ट की नागरानी, एमओएफपीआई समिति में योगदान, जीएपी और खाद्य सुरक्षा मानक

क) निर्यात अस्वीकृति को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह देने के लिए नियंत्रण नमूनों के पुनः विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं और एनआरएल जैसे संबंधित हितधारकों को प्रसार सहित 165 निर्यात अस्वीकृति, त्वरित अलर्ट, शिकायतों की निगरानी की।

ख) भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा इंडियागैप मानक के विकास से संबंधित अच्छी कृषि पद्धतियों पर राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूहों में योगदान दिया।

ग) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए एमओएफपीआई तकनीकी जांच समितियों और परियोजना अनुमोदन समितियों को योगदान दिया। न्यून क्षेत्रों से सहायता के लिए एमओएफपीआई को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आवेदन एकत्रित किए गए।

13.6 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

क) परीक्षण और प्रमाणन की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एनआरएल के माध्यम से नमूनाकरण, विश्लेषण और ग्रेडिंग के हाल के तरीकों पर अधिकृत प्रयोगशालाओं के फील्ड सैंपलरों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय सक्षमता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, कीटनाशकों और एफ्लाटॉक्सिन के अवशेषों के लिए एनआरएल के माध्यम से अधिकृत प्रयोगशालाओं को दक्षता परीक्षण प्रदान किया।

14. अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक और वर्चुअल व्यापार मेला

14.1 अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक (वीबीएसएमएस)

कोविड 19 महामारी के दौरान, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों को जारी रखा गया था। एपीडा ने अपने अनुसूचित उत्पादों के प्रचार के लिए भारतीय मिशनों के सहयोग से निम्नलिखित वर्चुअल क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित कीं:

क्रम संख्या	दिनांक	देश	उत्पाद	प्रतिभागियों की संख्या (लगभग)
1.	20.08.2020	यूएई	सभी एपीडा उत्पाद	90
2.	10.09.2020	कुवैत	सभी एपीडा उत्पाद	110
3.	17.09.2020	इंडोनेशिया	सभी एपीडा उत्पाद	105
4.	29.09.2020	स्विट्जरलैंड	ताजे फल और सब्जियां	25
5.	06.10.2020	बेल्जियम	ताजे फल और सब्जियां	25
6.	13.10.2020	ईरान	सभी एपीडा उत्पाद	95
7.	14.10.2020	कनाडा	जैविक उत्पाद	84
8.	28.10.2020	यूएई	जीआई उत्पाद	20
9.	28.10.2020	यूएसए	जीआई उत्पाद	25
10.	25.11.2020	जर्मनी	ताजे फल और सब्जियां	75
11.	07.12.2020	दक्षिण अफ्रीका	सभी एपीडा उत्पाद	50
12.	09.12.2020	ऑस्ट्रेलिया	ताजे फल (अंगूर, अनार)	25
13.	21.12.2020	थाईलैंड	सभी एपीडा उत्पाद	71
14.	22.12.2020	ओमान	सभी एपीडा उत्पाद	85
15.	07.01.2021	भूटान	सभी एपीडा उत्पाद	45
16.	15.01.2021	अजरबैजान	बासमती चावल	45
17.	17.02.2021	कतर	सभी एपीडा उत्पाद	155
18.	08.03.2021	सऊदी अरब	ताजे फल और सब्जियां	45
19.	23.03.2021	नेपाल	सभी एपीडा उत्पाद	60
20.	24.03.2021	उज्बेकिस्तान	ताजे फल (आम, केला)	40

14.2 वर्चुअल व्यापार मेला (वीटीएफएस)

अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने सदस्य निर्यातकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/क्रेता विक्रेता बैठकों आदि में भागीदारी का आयोजन किया। तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण लगभग ऐसे सभी मेलों/प्रदर्शनियों और बीएसएम को या तो रद्द या स्थगित कर दिया गया है।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव को दूर करने और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए विश्व बाजार के लिए एक संभावित वैकल्पिक विकल्प के रूप में भारत को पेश करके मौजूदा बाजारों को बनाए रखने के लिए, एपीडा ने अग्रणी कदम उठाया और विभिन्न कृषि उत्पादों की क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ–साथ भारतीय निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए वर्चुअल व्यापार मेलों के आयोजन के लिए इन–हाउस टीम के माध्यम से अपना स्वयं का मंच पेश किया।

एपीडा ने 10 से 12 मार्च, 2021 तक 'इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी शो' के लिए अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया। मेले का विषय 'इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी' था, जिसमें विभिन्न कृषि वस्तुओं की निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वीटीएफ में 132 निर्यातकों ने भाग लिया और 404 आगंतुकों ने वीटीएफ का दौरा किया।

15. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियाँ

15.1 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी

15.1.1 निर्यात संवर्धन पहल

15.1.1.1 क्रेता विक्रेता बैठक

वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वात्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आदि में भौगोलिक संकेत (जीआई) और जैविक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रेता–विक्रेता बैठक/सम्मेलन जैसे बाजार संपर्क कार्यक्रम आयोजित किये गए कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:

1. 12 नवंबर 2020 को असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के एफपीओ/एफपीसी के साथ क्रेता–विक्रेता बैठक (बीएसएम)।
2. 20 फरवरी 2021 को एनईआर के निर्यातकों और एफपीओ/एफपीसी क्रेता–विक्रेता के साथ बैठक।
3. 24 से 25 फरवरी 2021 तक मणिपुर में क्रेता–विक्रेता बैठक के साथ फील्ड विजिट।
4. 2 से 3 मार्च 2021 तक आइजोल, मिजोरम में क्रेता–विक्रेता बैठक के साथ फील्ड विजिट।
5. 11 से 12 मार्च 2021 तक जैविक उत्पादों पर नागालैंड के दीमापुर में सम्मेलन – सह – खरीदार – विक्रेता बैठक के साथ फील्ड विजिट।
6. 19–20 मार्च 2021 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश सम्मेलन सह क्रेता–विक्रेता बैठक।
7. 22 से 23 मार्च 2021 तक राज्य कन्वेंशन सेंटर, शिलांग, मेघालय में क्रेता विक्रेता बैठक के साथ फील्ड विजिट।

15.1.1.2 क्षमता निर्माण/कौशल विकास कार्यक्रम

एपीडा द्वारा सीएफटीआरआई और आईआईएफपीटी के सहयोग से निर्माता निर्यातकों और उद्यमियों के लिए निम्नलिखित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए: –

1. एपीडा और सीएसआईआर – सीएफटीआरआई द्वारा फलों, सब्जियों और मसालों के प्रसंस्करण के मूल्य संवर्धन पर जनवरी 2021 में मणिपुर और फरवरी 2021 में गुवाहाटी में पांच दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), एलओ गुवाहाटी में उद्यमियों / निर्माता निर्यातकों का 18 से 22 जनवरी 2021 तक प्रशिक्षण।

3. 17 फरवरी 2021 को री–भोई, मेघालय और डिब्रूगढ़, असम में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन पर कार्यशाला।

4. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, असम सरकार के सहयोग से एपीडा द्वारा निर्यात कॉन्क्लेव का आयोजन 19 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में किया गया।

5. 21 फरवरी 2021 को डिब्रूगढ़, असम में एपीडा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात के लिए खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

15.1.1.3 कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए आउटरीच कार्यक्रम

कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए, राज्य कृषि निर्यात कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

i) 10 जुलाई 2020 को मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड, मणिपुर सरकार।

ii) 14 जुलाई 2020 को अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, अरुणाचल प्रदेश सरकार।

iii) 11 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास विभाग, सिक्किम सरकार।

iv) 22 सितंबर 2020 को बागवानी विभाग, मेघालय सरकार।

15.2 क्षेत्रीय कार्यालय–हैदराबाद

15.2.1 निर्यात संवर्धन पहल :

15.2.1.1 कोविड 19 में लॉकडाउन अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला में उनके समक्ष आने वाली कठनाईयो को हल करने के लिए निर्यातकों के साथ अनुवर्ती कार्यावाही के साथ–साथ बिना किसी परेशानी के निर्यात के सुचारू संचालन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन के

लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ समन्वय किया निर्यात और घरेलू बजारों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की अपूर्ती श्रृंखला को बनाये रखने में सकक्षम बनाने के लिए व्यक्तियों, वाहनों, नमूना खेप के शिपमेंट के लिए खाद्य परिक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा भी प्रदान की।

15.2.1.2 आम, केला और अनार के निर्यात और वैश्विक जीएपी कार्यान्वयन के लिए कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्लस्टर जिलों में बागवानी विभाग के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए वेबिनार का आयोजन किया।

15.2.1.3 सूचना निर्यात प्रक्रियाओं, निर्यात सवंर्धन में एपीडा की भूमिका और दायित्व, एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं, एमओएफपीआई, नाबार्ड, अन्य सरकारी संगठनों आदि आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं और विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के तहत भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों के प्रसार के लिए नव पंजीकृत निर्यातकों के साथ संवेदीकरण बैठकों का आयोजन किया गया।

15.2.1.4 नए निर्यातकों को एपीडा पंजीकृत बागों से निर्यात गुणवत्ता वाले आमों की सोर्सिंग, पैकेजिंग सामग्री की सोर्सिंग, क्वारंटाइन पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा आदि के चरण से हैंडहोल्डिंग प्रदान करके ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात करने की सुविधा प्रदान की।

15.2.1.5 आंध्र प्रदेश के एक अन्य स्टार्ट अप निर्यातक को आम, तरबूज, कद्दू के प्रत्येक एक पूर्ण कंटेनर को समुद्री शिपमेंट के माध्यम से यूरोपीय संघ को निर्यात करने की सुविधा प्रदान की।

15.2.1.6 ऑर्गेनिक रूप से प्रमाणित 2 एमटी मोरिंगा लीव्स पाउडर पहली बार यूएसए को निर्यात किया। एपीडा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें निर्यात आवश्यकताओं और जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर स्टार्ट अप निर्यातक को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

15.2.2 कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने चिन्हित समूहों में निम्नलिखित कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:

15.2.2.1 1 अगस्त 2020 को कुरनूल, अनंतपुर में चिन्हित क्लस्टर क्षेत्र में अनार पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

15.2.2.2 5 अगस्त 2020 को चिन्हित क्लस्टर क्षेत्र कदापा, अनंतपुर में केले पर कार्यशाला।

15.2.2.3 13 अगस्त 2020 को चिन्हित किए गए क्लस्टर क्षेत्र कृष्णा और चित्तौड़ में आम पर कार्यशाला की गई।

15.2.2.4 19 अगस्त, 2020 को चिन्हित क्लस्टर जिला महबूबनगर, वारंगल, रंगारेड्डी में आम पर कार्यशाला सह संवेदीकरण।

15.2.2.5 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी अधिकारियों के लिए क्रमशः 14 और 15 सितंबर 2020 को वैश्विक जीएपी कार्यान्वयन पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम।

15.2.2.6 आम के लिए चिन्हित क्लस्टर जिले में एईपी के कार्यान्वयन के लिए 23 अक्टूबर 2020 को जिला अधिकारी, महबूबाबाद के साथ बैठक।

15.2.2.7 आम की फसल के लिए तीन जिले अर्थात, नागरकुरनूल, रंगारेड्डी और महबूबाबाद (तेलंगाना) ने जिला स्तरीय समूह समिति का गठन किया था। प्रत्येक जिले के लिए पहली बैठक क्रमशः 29 अगस्त, 25 सितंबर और 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी।

15.2.2.8 बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से "आम और अनार में कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन" क्लस्टर (दूसरी बैठक) पर वेबिनार किया गया।

15.2.2.9 बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को वैश्विक जीएपी पर वेबिनार/प्रशिक्षण।

15.2.2.10 बागवानी विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ एपीडा किसान कनेक्ट पोर्टल पर प्रशिक्षण/कार्यशाला।

15.2.2.11 बागवानी विभाग के अधिकारियों के सहयोग से केला क्लस्टर में बैठक।

पैकहाउसों और प्रयोगशालाओं की मान्यता

15.2.2.12 एपीडा ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों को ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए तेलंगाना में छः पैक हाउसों को मान्यता दी। छः पैक हाउसों में से दो पैक हाउसों को एपीडा द्वारा अपनी वित्तीय सहायता योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है।

15.2.2.13 एपीडा ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों को ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश में छः पैक हाउसों को मान्यता दी, जिनमें से दो पैक हाउस सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं और एपीडा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

15.2.2.14 क्षेत्रीय कार्यालय–हैदराबाद ने न्यूजीलैंड में आमों के आयात के निलंबन को रद्द करने के लिए तिरुपति और एनपीपीओ में स्थित सामान्य पैकहाउस सुविधा के साथ अनुवर्ती कार्रवाई

की। इसके परिणामस्वरूप, न्यूजीलैंड को कुल 30 मीट्रिक टन (लगभग) आमों का निर्यात किया गया है।

15.2.2.15 सात और तीन खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए एपीडा द्वारा प्रत्यायित प्राप्त /मान्यता प्राप्त है।

15.3 क्षेत्रीय कार्यालय – बेंगलुरु

15.3.1 निर्यात प्रोत्साहन पहल

15.3.1.1 कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम/बैठक

क्षेत्रीय कार्यालय–बेंगलुरु ने वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं/बैठकों/सुग्राहीकरण कार्यक्रमों/आयोजन में भाग लियाः

1. 22.01.2021 को शिवगंगई जिले द्वारा आयोजित क्रेता–विक्रेता बैठक (किसान और निर्यातक) में भाग लिया।

2. 8 से 12 फरवरी 2021 तक आईआईएचआर द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021" में भाग लिया।

3. कर्नाटक राज्य मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बागवानी विभाग, केएपीपीईसी के सहयोग से आयोजित कर्नाटक पशु चिकित्सा परिषद सभागार, बेंगलुरु में 17.02.2021 को आम क्रेता विक्रेता बैठक 2021 में भाग लिया।

15.3.1.2 आउटरीच कार्यक्रम : 2020–21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय–बेंगलुरु द्वारा निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थेः

8. 9 सितंबर, 2020 को दक्षिणी क्षेत्र में एपीडा के नए पंजीकृत निर्यातकों के लिए।

9. 25 सितंबर, 2020 को एपीडा, डीजीएफटी, ईसीजीसी, सीएचए, ईआईसी, फियो के विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों के लिए।

10. 28 सितंबर, 2020 को एपीडा, एनपीपीओ, आईआईपी, सीमा शुल्क, एमएसएमई, टीयूवी प्रयोगशाला के विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों के लिए।

11. 30 मार्च, 2021 को दक्षिणी क्षेत्र में नए पंजीकृत निर्यातकों के लिए।

15.3.1.3 **कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु)** : कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु द्वारा आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रम/बैठकें:

1. 22 जून 2020 को बागवानी विभाग द्वारा आयोजित बीज उत्पादन, कीट और रोग प्रबंधन और मशीनीकरण सहित जीएपी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2. 29 जून 2020 को बागवानी विभाग द्वारा आयोजित बैंगलोर गुलाबी प्याज के किसानों के लिए सदाली तालुक, चिक्काबल्लापुरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. एफपीओ सदाली के किसानों के लिए बागवानी विभाग द्वारा 10 जुलाई 2020 को आईआईएचआर वैज्ञानिकों द्वारा बैंगलोर गुलाबी प्याज में कीट और रोग प्रबंधन प्रथाओं और मशीनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4. अनार के लिए कर्नाटक के छह जिलों में क्लस्टर सुविधा समिति के गठन और एईपी के कार्यान्वयन के लिए एईपी क्लस्टर गतिविधि के लिए 22 जून 2020 को केएपीपीईसी और बागवानी विभाग के समन्वय में एपीडा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई।

5. चिंतामणि और बागपल्ली जिलों के लिए क्लस्टर सुविधा समिति के गठन पर चर्चा करने के लिए 28 जुलाई 2020 को केएपीपीईसी और बागवानी विभाग के समन्वय में एपीडा द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जैसा कि सदाली के लिए तैयार किया गया है।

6. एनआरसी – अनार सोलापुर – प्रशिक्षण के सहयोग से 18 सितंबर, 2020 को क्षेत्रीय कार्यालय–बेंगलुरू द्वारा कर्नाटक में जीएपी और निर्यात गुणवत्ता वाले अनार के उत्पादन पर प्रशिक्षण।

7. केएपीपीईसी द्वारा 29 सितंबर, 2020 को गुलाबी प्याज के लिए वैश्विक जीएपी पर एक बैठक आयोजित की गई।

8. मैसर्स टीक्यू सर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को आयोजित बागवानी विभाग, केएपीपीईसी, एनएबीएआरडी, किसानों और एफपीओ के बैंगलोर गुलाबी प्याज के लिए वैश्विक जीएपी प्रमाणन प्रशिक्षण में भाग लिया।

9. केरल के वायनाड में क्लस्टर सुविधा समिति के गठन और केले क्लस्टर के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एपीडा द्वारा 14 अक्टूबर 2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

10. मैसर्स फोरटेल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 22 अक्टूबर 2020 वाणिज्य में आर्थिक विकास, सततः विकास को बढ़ावा देने के लिए "अनार वैल्यू चेन फॉर एफपीओ" पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

11. एईपी के कार्यान्वयन और कर्नाटक में क्लस्टर विकास गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के

लिए 27 अक्टूबर 2020 को सचिव बागवानी और निदेशक बागवानी, कर्नाटक सरकार के साथ बैठक।

12. कर्नाटक सरकार के एईपी कार्यक्रम के अंतर्गत एफपीओ के साथ अनुबंध खेती में चिन्हित फसलों को बढ़ावा देने के लिए 13 नवंबर 2020 को नाबार्ड द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।

13. बैंगलोर रोज अनियन में सदालम्मा एफपीओ के लिए 4 दिसंबर, 2020 को सदाली, चिक्काबल्लापुरा में ग्लोबल गैप पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

14. 06.01.2021 को केएपीपीईसी नोडल एजेंसी द्वारा सादली तालुक, सिदलघाटा, चिक्काबालापुर, कर्नाटक में गुलाब प्याज क्लस्टर में एक बैठक आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम बैंगलोर गुलाब प्याज एफपीओ और निर्यातक मेसर्स विक्रम ग्लोबल कमोडिटीज लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित किया गया था।

15.4 क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता

पूर्वी क्षेत्र में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए सार्क, सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है। एपीडा, कोलकाता कार्यालय का क्षेत्र से निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय, वित्तीय संस्थान, विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के साथ अच्छा समन्वय है।

15.4.1 निर्यात प्रोत्साहन पहल

1. जीआई टैग उत्पाद का निर्यातः– पहली बार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में मैसर्स डीएम इंटरप्राइजेज द्वारा 45 किलोग्राम जीआई टैग किए गए जॉयनगर मोआ और 70 किलोग्राम पलमायरा गुड़ का परीक्षण शिपमेंट बहरीन को निर्यात किया गया।

2. मूंगफली प्रसंस्करण के लिए 100% ईओयू की स्थापनाः– क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के हस्तक्षेप से, मेसर्स लाडुराम प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल द्वारा मूंगफली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है। यह पूरे पूर्वी क्षेत्र में पहली इकाई है और पूर्वी क्षेत्र के मूंगफली निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

3. नए बागवानी पैक हाउस की स्थापनाः क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के हस्तक्षेप से मेसर्स एमजे इंटरनेशनल, मध्यमग्राम, कोलकाता द्वारा एक नया बागवानी पैक हाउस स्थापित किया गया है।

15.4.2 **सेमिनार और बैठकें** : क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने 67 (सढ़सठ) में आयोजित/भाग लिया है। वर्ष के दौरान पूर्वी क्षेत्र में बैठकें और सेमिनार। जागरूकता और निर्यात उन्मुख विषयों

और उत्पाद विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया और संभावित निर्यातकों को एपीडा अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही उद्योग संघ जैसे केवीके, नीएफआई और हॉटीकल्चर विभाग, आईसीसी, एपीआईसीओएल, सीआईआई, एफआईईओ, पीएचडी चौंबर्स, बीसीकेवी विश्वविद्यालय, केएएसएएम और ईडीआई आदि द्वारा संबोधित किया गया।

15.4.3. **निरीक्षण और फील्ड विजिट** : क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा वर्ष के दौरान 09 निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और फील्ड विजिट किए गए। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का दौरा, एपीडा द्वारा वित्त पोषित सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, राज्य सरकार स्वामित्व वाली शामिल हैं। सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, राज्य सरकार स्वामित्व आम इंफ्रा. सुविधाएं और कृषक बाजार, एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए लागू इकाइयों का निरीक्षण, मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण आदि।

15.4.4 संगोष्ठी/घरेलू व्यापार मेले/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/हितधारक बैठक/संवेदीकरण कार्यक्रम/बीएसएम आदि :–

1. **किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमः** कृषि विभाग, सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने 03 (तीन) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। पुरबा बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आलू निर्यात क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें अच्छी संख्या में आलू उत्पादक और सीपीआरआई और बीसीकेवी के विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान एपीडा ने प्रस्तुति दी।

2. **क्लस्टर विकास गतिविधिः** वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने ताजी सब्जियों के लिए हंसखली जिला नादिया, जीआई टैग हल्दी के लिए कंधमाला जिले के बलीगुडी, ध ारिंगबाडी और फूलबाणी, ताजे फल और सब्जियों के लिए कराची, झारखंड, अन्य ताजी सब्जियों विशेषकर भिंडी और लंबी बीन के लिए झारखंड के पाकुर जिले में एपीआईसीओएल/कासम/राज्य कृषि विभाग आदि के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र में एफपीओ/एफपीसी और प्रगतिशील किसानों के लिए जागरूकता सह क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है।

3. **क्रेता–विक्रेता बैठकः** केवीके और जिला प्रशासन के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा झारखंड के पाकुर जिला में एक बीएसएम का आयोजन किया गया जिसमें ताजे फल और सब्जियों के निर्यातकों, एफपीओ/एफपीसी और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने 14 से 16 मार्च, 2021 तक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम "एग्री विजन 2021" में भाग लिया। एपीडा आधिकारिक प्रायोजकों में से एक था और जिसने दिनांक 14 मार्च, 2021 को आयोजित कार्यक्रम में 18 वर्ग फुट का स्टैंड लिया।

15.4.5 **कृषि निर्यात नीति (एईपी)**:– क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों में एईपी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:–

1. प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राज्य विशिष्ट एईपी रिपोर्ट और अस्थायी कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार किया और इसे अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को अग्रेषित किया गया और बाद में राजपत्र अधिसूचना के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

2. सभी पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एपीसी / कृषि सचिवों के साथ बैठक और संबंधित विभागों के साथ अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गई हैं।

3. चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से, दो राज्यों अर्थात् ओडिशा और बिहार ने एईपी मुद्दों की निगरानी के लिए राज्य नोडल एजेंसी/अधिकारी को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। हालांकि, एईपी रिपोर्ट के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

4. अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित क्लस्टर जिलों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

15.5 क्षेत्रीय कार्यालय – मुंबई

15.5.1 निर्यात प्रोत्साहन पहल

15.5.1.1 अंबिया बहार के पहले कंटेनर को 27 अक्टूबर 2020 को एमएसएएमबी, वाशी मुंबई के एपीडा द्वारा वित्त पोषित वीएचटी सुविधा से दुबई के लिए रवाना किया गया।

15.5.1.2 मुंबई स्थित निर्यातक द्वारा अमरावती (एमएच) में स्थित एक अन्य एपीडा वित्त पोषित सुविधा से 3 कंटेनरों के माध्यम से दुबई को 60 मीट्रिक टन नागपुर संतरे का निर्यात किया गया। संतरे की आपूर्ति एफपीओ मैसर्स नागपुर मंदारिन किसान उत्पादक संगठन द्वारा की गई थी। कंटेनर को सालबर्डी (अमरावती) में भरा गया था जो कि एपीडा द्वारा वित्त पोषित पैकहाउस है। इसके अलावा इस पैकहाउस से नागपुर संतरे के करीब 50 ट्रक सड़क मार्ग से बांग्लादेश को निर्यात किए जाते हैं। इस अंबे बहार पैकहाउस से कुल 1000एमटी का निर्यात किया गया है।

15.5.1.3 मेसर्स जानूज यूनिवर्सल द्वारा 4 मीट्रिक टन "गुडहाई" फ्लेवर्ड गुड़ पाउडर की पहली खेप 24 फरवरी 2021 को समुद्री कंटेनर के माध्यम से नवी मुंबई से यूएसए भेजी गई।

15.5.1.4 भारत से जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, 8 सितंबर, 2020 को एक हितधारक बैठक आयोजित की गई और पंजीकरण और जीआई उत्पाद निर्यात की प्रक्रिया को समझने के लिए 14 दिसंबर 2020 को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय, चेन्नई के साथ जीआई उत्पादों पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

15.5.1.5 वर्ष 2020–21 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में लगभग 33 निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन/भाग लिया, जिसमें क्रेता–विक्रेता बैठकें/कार्यशालाएँ/उत्पाद प्रचार कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

15.5.2 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई कार्यालय द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रमः

1. एनआरसीजी, डीएसएओ और एमएसएएमबी के सहयोग से निर्यात गुणवत्ता वाली किशमिश के उत्पादन पर 4 सितंबर, 2020 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

2. 07 अक्टूबर, 2020 को आईसीएआर–एनआरसी केले के सहयोग से केले में मूल्यवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

3. गुजरात राज्य के नए एपीडा पंजीकृत निर्यातकों के लिए एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं पर संवेदीकरण कार्यक्रम पर 21 अक्टूबर, 2020 को बैठक का आयोजन किया।

4. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर आयोजित कृषि निर्यात अवसर पर 4 नवंबर, 2020 को वेबिनार में भाग लिया।

5. मध्य प्रदेश राज्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित– एमएसएमई क्षेत्र में स्टार्टअप और निर्यात के अवसरों पर 05 नवंबर 2020 को नेटवर्किंग बैठक की गई।

6. जीआई उत्पादों पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के लिए 26 नवंबर, 2020 को एक हितधारक बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य जीआई पंजीकृत मालिकों सहित लगभग 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7. कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से कृषि–खाद्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर 30 दिसंबर, 2020 को संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

8. वनमती के सहयोग से अमरावती जिला संतरा उत्पादकों और निर्यातकों के लिए 12 जनवरी, 2021 को वेबिनार का आयोजन किया।

9. ईसीजीसी की योजनाओं के लिए हितधारकों के लिए ईसीजीसी के सहयोग से 15 फरवरी, 2021 को एपीडा ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

10. क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने बागवानी विभाग के सहयोग से 18 फरवरी, 2021 को संतरे उत्पादकों के लिए उज्जैन में संतरे के एफपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

11. 25 मार्च, 2021 को एपीडा द्वारा आयोजित न्यूजीलैंड को अंगूर के निर्यात के लिए स्वचालित फ्यूमीगैशन चैंबर प्रोटोकॉल के सफल प्रदर्शन के लिए सिपेट, मेसर्स सह्याद्री किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड, नासिक और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय किया गया।

12. 12 मार्च 2021 को जीएआईसी गांधीनगर में आयोजित निर्यातक सम्मेलन जो भारत का अमृत महोत्सव के रूप में दांडी मार्च की ऐतिहासिक यात्रा के उपलक्ष्य में एक पहल की गई।

13. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डीजीएफटी और गुजरात सहकारी दुग्ध संघ के सहयोग से

एफपीओ/किसानों के लिए 18 मार्च, 2021 को आयोजित क्षमता निर्माण/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

15.5.3 हॉर्टिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम/बैठक

1. बागवानी उत्पाद निर्यातकों के साथ निर्यात और चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए संबंधित हितधारकों के लिए हॉर्टिकनेट, एपीडा की ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, एपीडा की ट्रेसबिलिटी प्रणाली पर लगभग 6–7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.5.4 **कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन** – महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रम/बैठकें की गई।

1. 17 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में केले क्लस्टर के विकास के लिए हितधारकों के साथ बैठक की गई।
2. 17 जुलाई 2020 को गुजरात के सूरत, नर्मदा और भरूच जिले में केले क्लस्टर के विकास के लिए हितधारकों के साथ बैठक की गई।
3. 21 जुलाई 2020 को एईपी अंगूर क्लस्टर सांगली के हितधारकों के साथ बैठक की गई।
4. 29 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आलू और प्याज के लिए एईपी कार्यान्वयन पर प्रक्रिया पर चर्चा के लिए हितधारकों के साथ बैठक की गई।
5. 6 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में संतरा क्लस्टर के विकास के लिए हितधारकों के साथ बैठक की गई।
6. 14 अगस्त, 2020 को जलगांव केला क्लस्टर हितधारकों के साथ बैठक की गई।
7. 23 नवम्बर, 2021 को संतरा कलस्टर के विकास हेतु कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आगर मालवा, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में जिला निर्यात संवर्धन परिषद की बैठक में भाग लिया।
8. एईपी कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए एपीसी मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में 25 नवंबर, 2020 को हुई बैठक में भाग लिया, जिसमें प्रमुख सचिव बागवानी, एमडी, मंडी बोर्ड, निदेशक बागवानी, निदेशक कृषि भी उपस्थित थे।
9. 08 दिसंबर, 2020 को कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत महाराष्ट्र राज्य में चिन्हित समूहों के हितधारकों के साथ बैठक की गई।
10. कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत गुजरात राज्य में चिन्हित समूहों के हितधारकों के साथ 09 दिसंबर, 2020 को बैठक की गई।
11. जलगांव जिले, महाराष्ट्र के जीआई उत्पादों के लिए 23 फरवरी, 2021 को हितधारकों की बैठक की गई।

12. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्याज और आलू के लिए कृषि निर्यात नीति (एईपी) के कार्यान्वयन के लिए 19 मार्च, 2021 को बैठक की गई।

15.6 क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

15.6.1 निर्यात प्रोत्साहन पहल

वाराणसी में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के बाद निम्नलिखित निर्यात खेप पहली बार वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से भेजे गए थे:

1. 23 अप्रैल 2020 को वाराणसी से नई दिल्ली के रास्ते लंदन को 3 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों का निर्यात किया गया। कृषि–उत्पादों की खरीद वाराणसी क्षेत्र में स्थित एफपीओ से की गई थी।
2. जया सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक वाराणसी क्लस्टर में स्थित एफपीओ से 3 मीट्रिक टन ताजे आमों का निर्यात दुबई को किया गया।
3. 14 जून, 2020 को वाराणसी से लखनऊ, नई दिल्ली से लंदन के लिए 1.2 मीट्रिक टन ताजे आमों का निर्यात किया गया।
4. चंदौली क्लस्टर से क्षेत्रीय चावल को बढ़ावा देना – जिला चंदौली को "धान का कटोरा" के रूप में जाना जाता है। काला चावल एक नई पहल थी जिसे किसान ने अमल में लाया और लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रीय चावल बोया गया। एपीडा ने इन किसानों से काला चावल निर्यात करने की पहल की। एपीडा ने निर्यातक को आमंत्रित किया, बी–2–बी की व्यवस्था की और एपीडा के कई प्रयासों के बाद आखिरकार एपीडा पंजीकृत निर्यातक द्वारा 80 मीट्रिक टन काला चावल (धान) खरीदा गया। 152 किसानों को सीधा लाभ हुआ। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के चंदौली से 520 मीट्रिक टन गैर–बासमती चावल की एक खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
5. इस क्षेत्र से फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 07/01/2021 को पातालगंगा, गाज़ीपुर में एक संवादात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके उपरांत 30 मीट्रिक टन सब्जियां (मिर्च और मटर की मिश्रित खेप) मालदा जिले से बांग्लादेश और रक्सौल जिले से नेपाल के लिए खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
6. 09 दिसंबर 2020 को चंदौली जिले के काले चावल को बढ़ावा देने के लिए क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में 27/02/2021 से 28/02/2021 तक "बुंदेलखंड में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देने" पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।
8. एशिया (ओमान ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ग्रुप) के एक प्रतिनिधि द्वारा 04 दिसंबर 2020 को वाराणसी का दौरा किया। वाराणसी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, परियाजना कार्यालय,

वाराणसी ने संबंधित हितधारकों और एफपीओ/किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रतिनिधि के साथ एफपीओ प्रो काशी के ताजा सब्जियों के खेत और वाराणसी जिले के सीतापुरी ब्लॉक में स्थित नमामीगंज में जहां ओमान को निर्यात के लिए सब्जियां उपलब्ध हैं।

9. राज्य सरकार के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कृषि–निर्यात के लिए एक पूर्ण पैमाने पर अवसर प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरूप वाराणसी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सीधे निर्यात होता है।

15.6.2 उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड राज्यों में कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

1. बलिया जिले के सीताबड़ियारा क्षेत्र और बलिया जिले के अन्य हिस्सों में केले और अन्य ताजे फल और सब्जियों की अच्छी क्षमता को देखते हुए जिला बलिया से निर्यात शुरू करने के लिए 11 अगस्त 2021 को बलिया जिला प्रशासन के साथ बातचीत बैठक आयोजित की गई थी।
2. 28 अगस्त 2020 को आलू क्लस्टर आगरा के सभी हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान चिन्हित गुणवत्ता वाले बीज की कमी, पाइपलाइन में उपज की कमी, लॉजिस्टिक मुद्दों और विभिन्न अन्य प्रमुख समस्याओं पे विचार किया गया।
3. मिर्जापुर जिले में एईपी को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए 18 अगस्त 2020 को संभागीय आयुक्त मिर्जापुर सहित कई अन्य संस्थानों के साथ बैठक आयोजित की गई।
4. उत्तर प्रदेश से आम के निर्यात के विकास के लिए कृषि निर्यात नीति को लागू करना और उत्तर प्रदेश से नए आमों के निर्यात से जुड़ी समस्या और निर्यातकों, एफपीओ, एनसीडीसी, एसएफएसी के साथ 6 अगस्त 2020 को बैठक का आयोजन किया गया।
5. एईपी के कार्यान्वयन के लिए यूपी की नोडल एजेंसी, कृषि विपणन और विदेश व्यापार निदेशालय के साथ बैठक की गई और 02/09/2020 को यूपी में विशेष रूप से वाराणसी में एईपी को लागू करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की गई।
6. वाराणसी क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 05 अक्टूबर 2020 को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त, वाराणसी द्वारा की गई।
7. 26 नवंबर 2021 को आगरा संभागीय अधिकारियों के साथ संभागीय कृषि निर्यात विपणन समिति की बैठक आयोजित की गई।
8. वाराणसी के राजातालाब स्थित खराब कारगो सेंटर को पैकहाउस में अपडेट करने के संबंध में कॉनकोर के साथ बैठक की गई।
9. राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति की पहली बैठक 8 दिसंबर 2020 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की अधक्षता में आयोजित की गई।
10. 19 मार्च 2021 को बर्ड द्वारा "उत्तर प्रदेश के कृषि स्टार्ट–अप और एफपीओ के बीच इंटरफेस" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

11. उत्तराखंड राज्य से नए क्लस्टर विकसित करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुक्त उद्योग, उत्तराखंड और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

12. बिहार में कृषि निर्यात नीति को लेकर राज्य कृषि विभाग बिहार के अधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक की अध्यक्षता सचिव (कृषि) बिहार द्वारा की गई। एपीडा अधिकारियों के साथ सभी संबंधित हितधारकों ने बैठक में भाग लिया।

13. 20 और 21 फरवरी 2021 को आगरा में "आलू महोत्सव" में भागीदारी (आलू क्लस्टर के तहत– एपीडा की एक पहल)।

14. क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी ने 20–21 फरवरी 2021 को वाराणसी में राज्य बागवानी विभाग द्वारा आयोजित "फूल और सब्जी शो" में भाग लिया।

15. कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय (उत्तर प्रदेश) द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों यानी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, टीबीटी, पैकेजिंग, एग्री एक्सपोर्ट के विकास अभियान, कृषि निर्यात के लिए उत्पाद वार समुद्री प्रोटोकॉल, कृषि निर्यात के लिए कोल्ड चेन, निर्यात दस्तावेज, इनक्युर्म्स नियमों और निर्यात में उनके महत्व, कस्टम प्रक्रिया, मूल प्रमाण पत्र आदि विषय शामिल किया गया।

16 19 मार्च 2021 को बर्ड द्वारा "उत्तर प्रदेश के कृषि स्टार्ट–अप और एफपीओ के बीच इंटरफेस" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था।

17 क्षेत्रीय कार्यालय–वाराणसी, ने 13–15 मार्च, 2021 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के आयोजित जीआई प्रचार कार्यक्रम "काला नमकमोत्सव" में भाग लिया।

18 क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी क्षेत्र में 8 प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये, अर्थात 1 वाराणसी में, 2–2 चंदौली और जौनपुर में, 3 ग़ाजीपुर में। प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 50 किसानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

15.7 क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई का उद्घाटन 4 फरवरी, 2021 को श्री गगनदीप सिंह बेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त और सरकार के प्रधान सचिव, तमिलनाडु सरकार और डॉ. एम. अंगमुथु, अध्यक्ष, एपीडा द्वारा तमिलनाडु राज्य विपणन बोर्ड गोइंडी, चेन्नई के परिसर में की गई। क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के दो माह की न्युनतम अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:–

1. व्यापार बिरादरी के सामने आने वाले आयात और निर्यात संबंधी मुद्दों के लिए तमिलनाडु के सभी डीआईसीएस में हेल्प डेस्क बनाने के लिए डीजीएफटी के साथ 8 फरवरी 2021 को बैठक।

2. तमिलनाडु राज्य विपणन बोर्ड द्वारा समर्थित ईपीसी केंद्र, मदुरई में निर्यातकों के लिए 19 फरवरी 2021 को संवेदीकरण कार्यक्रम, जिसमें एनपीपीओ, ईआईसी, नाबार्ड, डीजीएफटी और एपीडा द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे।

3. तिरुमूर्ति पहाड़ियों में केले और आम उत्पादन के लिए सिंचाई प्रबंधन द्वारा आयोजित 23 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में भाग लिया।

4. 26 फरवरी 2021 को मदुरै में नाबार्ड, एमएबीआईएफ और टैनफूड द्वारा आयोजित क्रेता–विक्रेता बैठक में भाग लिया, जिसमें 103 स्टाल हैं और 1000 से अधिक किसानों की भागीदारी है।

5. 26 फरवरी 2021 को मैसर्स मिरेकल ट्री, उदय फार्म्स, तमिलनाडु द्वारा ऑस्ट्रेलिया, घाना और वियतनाम के लिए मोरिंगा मूल्य वर्धित उत्पादों की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

6. निर्यात प्रवृत्तियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए ताजे फल और सब्जियों के निर्यातकों के लिए 4 मार्च 2021 को बैठक

7. टीएनएयू और एपीडा पर प्रचार गतिविधियों पर 11 मार्च 2021 को बैठक

8. केरल के एफपीओ के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम पर 18 मार्च 2021 को बैठक

9. निर्यात में रुझान पर चर्चा के लिए जीवित पौधों/फूलों की खेती के लिए 23 मार्च 2021 को बैठक

10. 24 मार्च 2021 को चेन्नई हवाई अड्डे पर सामान्य बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थिति के संबंध में महाप्रबंधक (कार्गो), चेन्नई हवाई अड्डे के साथ बातचीत की।

11. निर्यात में प्रवृत्ति और अवसरों पर चर्चा करने के लिए जीआई निर्यातकों/मालिकों के लिए 24 मार्च 2021 को बैठक।

12. निर्यात में प्रवृत्ति और अवसरों पर चर्चा करने के लिए अनाज, बाजरा मोटे अनाज निर्यातकों के लिए 25 मार्च 2021 को बैठक।

13. मोरिंगा क्लस्टर की समीक्षा के लिए 31 मार्च 2021 को बैठक।

15.8 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की स्थापना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के परिसर में की गई। विस्तार कार्यालय की स्थापना के डेढ़ माह की अल्प अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं:

1. निर्यात के लिए मील से सीधे सफेद आटा और गेंहू के आटे की खरीद के लिए विदिशा और हरदा में गेंहू आटा मीलों को निर्यातक, मैसर्स कल्याणी निर्यात का टाई–अप किया गया।

2. हितधारकों को तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण के संदर्भ में सहयोग के संबंध में मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित विंध्य जड़ी–बूटियों, शहद प्रसंस्करण संयंत्र के साथ बातचीत की गई।

2. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन और क्लस्टर विकास

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कृषि निर्यात नीति और क्लस्टर विकास के कार्यान्वयन के लिए ने निम्नलिखित बैठकें आयोजित की:

- बागवानी विभाग, नाबार्ड के सहयोग से संतरा क्लस्टर के एफपीओ के लिए 18.2.2021 को इंदौर में प्रशिक्षण सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- छत्तीसगढ़ में कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.03.2021 को छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विभाग के साथ बैठक।
- दिनांक 23.03.2021 को मध्यप्रदेश राज्य के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के हितधारकों, प्रमुख निर्यातकों, निर्माताओं, स्टार्ट–अप और नए उद्यमियों के साथ बैठक।
- मध्य प्रदेश के निर्यातकों तक बेहतर पहुंच के लिए सहयोग और आपसी सहयोग के लिए 23.3.2021 को कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के साथ बैठक।
- राज्य बागवानी विभाग एवं मण्डी बोर्ड के साथ दिनांक 24.03.2021 को राज्य कार्य योजना और मध्य प्रदेश निर्यात नीति की योजना के संबंध में बैठक।
- किसानों को निर्यातकों से जोड़ने की संभावना तलाशने के लिए एफपीओ और स्टार्ट–अप, छत्तीसगढ़ के निर्यातकों के लिए 25.3.2021 को बैठक की गई।

15.9 क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और श्रीनगर

एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और श्रीनगर की स्थापना कृषि निदेशालय, जम्मू और श्रीनगर के परिसर में केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के क्रमशः 3 और 24 फरवरी, 2021 को की गई।

एपीडा ने क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित स्तरीय निगरानी समिति बनाने, जम्मू और कश्मीर में जैविक प्रमाणन निकाय के विकास और लद्दाख में नए भर्ती/अधिकारियों के साथ–साथ हितधारकों की हैंडहोल्डिंग का आयोजन किया गया।

15.10 क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की स्थापना पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीएजीआरईएक्ससीओ, चंडीगढ़ के परिसर में 25 मार्च, 2021 को की गई।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राधिकरण ने तालिका (1.1) में दर्शाए गए अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी और तालिका (1.1.1) में दर्शाए गए अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया। श्रीमती रेखा मेहता, सहायक महाप्रबंधक इस अवधि के दौरान नोडल सीपीआईओ हैं।

1.1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) तालिका का विवरण

क्रं.सं.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का नाम	विभाग
1.	डॉ. तरुण बजाज	पीएफवी, पशु उत्पाद और गुणवत्ता
2.	श्री एस.एस. नैय्यर	बजट और वित्त, अनाज विभाग, पीआर और व्यापार मेले, बीईडीएफ
3.	श्री वी. के. विद्यार्थी	सामान्य अवसंरचना, हिंदी राजभाषा, डब्ल्यूटीओ, एसपीएस–टीबीटी, एफटीए और जीआई उत्पाद
4.	श्री यू.के. वत्स	जैविक, एफएफवी, पुष्पकृषि, ईडीएफ और एनईआर, एफएफवी के लिए बाजार पहुंच
5.	डॉ. सुधांशु	कार्मिक और प्रशासन, कंप्यूटर और सूचना, सांविधिक विभाग, कृषि निर्यात नीति, पंजीकरण, पुस्तकालय, संसद प्रश्न

1.1.1 जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) तालिका का विवरण

क्रं.सं.	जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का नाम	विभाग
1.	डॉ. सास्वती बोस, उप महाप्रबंधक	ताजे फल और सब्जियां, बाजार पहुंच और पुष्पकृषि
2.	श्री देवेंद्र प्रसाद, उप महाप्रबंधक	गुणवत्ता, सामान्य अवसंरचना
3.	सुश्री विनीता सुधांशु, उप महाप्रबंधक	अनाज, बीईडीएफ

4.	सुश्री समिधा गुप्ता, उप महाप्रबंधक	बजट और वित्त प्रभाग
5.	श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महाप्रबंधक	प्रसंस्कृत खाद्य
6.	श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक	पशु उत्पाद प्रभाग
7.	श्री विद्युत बरुआ, सहायक महाप्रबंधक	एनईआर और ईडीएफ
8.	सुश्री रीबा अब्राहम, सहायक महाप्रबंधक	जैविक उत्पाद
9.	डॉ. सी बी सिंह, सहायक महाप्रबंधक	परियोजना कार्यालय वाराणसी, रसद
10.	सुश्री रजनी अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक	कार्मिक और प्रशासन, सतर्कता, कानूनी और सांविधिक विभाग
11.	सुश्री सिमी उन्नीकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक	हिंदी राजभाषा, विश्व व्यापार संगठन, एसपीएस, टीबीटी, एफटीए और जीआई उत्पाद
12.	श्री हरप्रीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी	कंप्यूटर और सूचना
13.	सुश्री शोभना कुमार, क्षेत्र अधिकारी	संसद प्रश्न
14.	श्री विष्णु सारस्वत क्षेत्र अधिकारी	पंजीकरण और कृषि निर्यात नीति
15.	श्री शिशुपाल रावत, पुस्तकालयाध्यक्ष	पुस्तकालय
16.	सुश्री रोज़लीन वरिष्ठ कार्यालय कार्यकारी	व्यापार मेला और पीआरओ

वर्ष के दौरान, नोडल सीपीआईओ और तीन पीआईओ को "आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता लेखापरीक्षा" पर दो दिवसीय वेबिनार में भाग लेने के लिए नामित किया गया। आईएमआरए द्वारा 18 और 19, फरवरी, 2021 को आयोजित किया गया।

17. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन

पहली कृषि निर्यात नीति (एईपी) की घोषणा भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात को 2022 तक दुगना करके 60 बिलियन अमरीकी डालर तक ले जाने के उद्देश्य से की गई। यह नीति स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात अवसरों का लाभ प्रदान करके किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से की गई है। नीति का उद्देश्य निर्यातोन्मुखी उत्पादन की क्षमता वाले समूहों के विकास और कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके उद्देश्य प्राप्त करना है।

एईपी के कार्यान्वयन के लिए, एपीडा ने वर्ष 2020–2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की गईः –

1. राज्य विशिष्ट कृषि निर्यात योजनाओं को तैयार करने के लिए एपीडा ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित राज्य के साथ अनुसरण किया गया और आगे की कार्यवाही की गई। 4 राज्यों (मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपनी कृषि निर्यात योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

2. एईपी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। नौ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया गया है।

3. अधिसूचित क्लस्टरों को विकसित करने के लिए, जुलाई–अगस्त 2020 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से क्लस्टर विकास के दूसरे दौर में 32 बैठकें आयोजित की गई हैं। संबंधित उत्पादों के लिए 9 राज्यों में क्लस्टर जिलों में पंद्रह क्लस्टर स्तर की समितियों का गठन किया गया है।

4. भारत के ईओआई, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के आयातकों, निर्यातकों और उत्पाद संघों के साथ पहली वर्चुअल बीएसएम बैठक 20 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी। इस आभासी सत्र में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत और एपीडा के अध्यक्ष ने संबंधित संबोधन शामिल किया। उत्पाद संघों ने ई–कैटलॉग की आभासी रिलीज के बाद उत्पाद क्षेत्रवार प्रस्तुतियां दी। इसी तरह, ईओआई, कुवैत, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ईरान, कनाडा (जैविक उत्पाद), यूएई और यूएसए (जीआई उत्पाद), जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ओमान, भूटान, अजरबेजान, कतर, सऊदी अरब, नेपाल, उजबेकिस्तान के साथ 19 वर्चुअल बीएसएम बैठकें की गई।

5. क्लस्टरों में मौजूदा अवसंरचना की मैपिंग की गई और 29 क्लस्टर जिलों का समेकित विवरण संकलित किया गया और कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग और एमओएफपीआई को भेजा गया।

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, एईपी के तहत पहचाने गए 28 संभावित निर्यात उत्पादों के लिए टैरिफ बाधाओं को कवर करने वाले

भारत के टैरिफ नुकसान पर एक ई–रिपोर्ट को आगे प्रसार के लिए अंतिम रूप दिया गया था।

7. कोविड महामारी के दौरान उभरे अवसरों और इन देशों को कृषि निर्यात की संभावना का लाभ उठाने के लिए संबंधित देशों के भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के परामर्श से 60 देशों के लिए देश विशिष्ट कृषि निर्यात रणनीति रिपोर्ट तैयार की गई है।

8. प्रमुख निकास बंदरगाहों (समुद्र/हवाई अड्डे) पर मौजूदा अवसंरचना पर आवश्यक रसद हस्तक्षेप पर एक डिजिटल ई–रिपोर्ट तैयार की गई थी। विभिन्न हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर अवसंरचना की कमियों का आकलन किया गया।

9. कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के साथ कृषि व्यापार पर समग्र दृष्टिकोण पर एक रणनीति तैयार की गई है जिसमें सभी गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से शामिल किया गया है।

10. एईपी के कार्यान्वयन और आगे सहयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एनसीयूआई, एएफसी इंडिया लिमिटेड, नाबार्ड, सीएसआईआर–एनबीआरआई, एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

11. एपीडा ने 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में योगदान दिया।

12. एपीडा ने केले, सेब, अनानास/हल्दी, आम, अंगूर/अनार के लिए बागवानी समूहों के विकास के संबंध में एमआईडीएच, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वीसी बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लिया और एपीडा के मौजूदा बुनियादी ढांचे और कृषि के कार्यान्वयन के तहत किए गए क्लस्टर विकास पहल के बारे में जानकारी प्रदान की। बैठक के दौरान निर्यात नीति इसी तरह, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साझा क्लस्टर जिलों और संबद्ध योजनाओं पर आपसी सहयोग और तालमेल के लिए एमआईडीएच (डीएसी एवं एफडब्ल्यू), एमओएफपीआई और डीजीएफटी के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

13. 2020–21 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के दो घटकों (राज्य नोडल एजेंसी के अधिकारियों की क्षमता निर्माण, क्लस्टर हितधारकों की क्षमता निर्माण) के तहत सहायता के लिए राशि की राशि 15 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, यूपी, राजस्थान, नागालैंड, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड की नोडल एजेंसियों को वितरित की गई है।

14. कोविड महामारी के दौरान वाराणसी, लखनऊ (आम), अनंतपुर (केला), थेनी (केला) सूरत (केला), सोलापुर/कोल्हापुर/जलगाँव (केला), नागपुर (संतरा), नासिक, सांगली (अंगूर), नासिक (प्याज), चिक्काबल्लापुरा (गुलाब प्याज), और सोलापुर (अनार) क्लस्टर क्षेत्र आदि से दुबई, लंदन अन्य गंतव्यों के लिए हवाई और समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात किया गया।

18. अन्य गतिविधियां

18.1 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का समारोह

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की समाप्ति की अवधि के उपलक्ष्य में, एपीडा द्वारा 2.10.2020 को गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे कि:

- महात्मा गांधी के जीवन पर निबंध लेखन।
- महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर विडियो कॉन्फ्रेंस।
- महात्मा गांधी के जीवन पर नुक्कड़ नाटक।
- महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों का गायन किया गया और कार्यालय परिसर की सफाई की गई

18.2 70वें संविधान दिवस का आयोजन

70वें भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 से 26 नवंबर, 2020 तक एपीडा ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे कि:

1. एपीडा अधिकारियों/कर्मचारियों को भारतीय संविधान पर पुस्तकों का वितरण।
2. भारतीय संविधान पर बैनर और स्टैंडी तैयार की गई।
3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को फ्रेम करवा कर एपीडा की फोटो गैलरी में लगवाया गया।
4. भारतीय संविधान पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
5. 26 नवंबर, 2020 को "भारतीय संविधान" विषय पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, भारतीय संविधान की भूमिका का पाठ सामूहिक रूप से किया गया और भारतीय संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी दिखायी गयी।
6. पूर्वात्तर क्षेत्र के निर्यातकों के लिए 20 नवंबर 2020 को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

18.3 स्वच्छता कार्य योजना

स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत, एपीडा के अधिकारियों/कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वच्छता संबंधी जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां की गई।

कई स्वच्छता अभियानों के साथ–साथ एमटीएस और उनके बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दीवारों को साफ करने और क्षेत्रों को नया रूप देने के लिए सफेदी का काम किया गया।

स्थानीय लोगों की जागरूकता के लिए पास के पार्क में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

कार्यालय परिसर और शौचालय में स्वच्छता संबंधित निर्देशक पट्टे लगाये गये।

18.4 एपीडा के स्थापना दिवस का उत्सव

एपीडा ने 13 फरवरी, 2021 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सरस रिज़ॉर्ट, दमदमा झील, सोहना, हरियाणा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम को एपीडा कार्मिकों द्वारा तैयार किया गया, जिसकी काफी सराहना की गई थी।

इसके अलावा, लोक नृत्य और वाद्य संगीत की व्यवस्था के लिए पेशेवर एजेंसी को भी नियुक्त किया गया था। एपीडा स्थापना दिवस कार्यक्रम में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर नौका विहार, खेल गतिविधियों और इन–डोर गेम्स जैसी अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर कार्यक्रम का आनंद लिया।

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

पताः तीसरी मंजिल, एनसीयूआई, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली–110016
दूरभाषा: 91-11-20867007, 20867008, 20863919, 26850301, 41486013
ई–मेल: headq@apeda.gov.in • वेबसाइट: www.apeda.gov.in